एसजेवीएन
SJVN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY POLICY REVISION - IV 2023

एसजेवीएन सीएसआर विजन : हमारी उन्नति में लोगों और पृथ्वी को भागीदार बनाना

SJVN CSR Vision: To Make People and Earth Partners in Our Growth

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत्शीलता नीति
संशोधन-IV

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY POLICY REVISION- IV

CONTENTS

I.	Corporate Social Responsibility and Sustainability Policy Revision- IV	Part -I
II.	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत्शीलता नीति संशोधन–IV	Part -II
III.	Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021	Part -III
IV.	Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2022	Part -IV

Corporate Social Responsibility and Sustainability Policy
Revision- IV

Corporate Social Responsibility and Sustainability Policy Revision- IV

CONTENTS

SN	Description	Page No.
1	Preamble	02-02
2	Definitions	02-03
3	SJVN's CSR Vision	03-03
4	SJVN's CSR Mission	03-03
5	SJVN's CSR and Sustainability Policy Statement and Objective	03-03
6	SJVN's Approach for CSR and Sustainability	03-03
7	CSR Implementation Process	04-05
8	Strategy for execution of CSR	05-05
9	CSR and Sustainability programmes	05-06
10	Budget Allocation	06-06
11	CSR Reporting	06-06
12	Monitoring, Evaluation and Impact Assessment	06-07
13	Display of CSR activities on its website	07-07
14	Policy Review	07-07
No.	**Appendix**	
1	SJVN CSR Compliance Check List	08-11
2	An indicative list of CSR & Sustainability programs	12-14

- *CSR and Sustainability Policy was approved in 208th BOD held on 30th November, 2011*
- *1st revision of CSR and Sustainability Policy was approved by 232nd BOD held on 07th November, 2014*
- *2nd revision of CSR and Sustainability Policy was approved by 282nd BOD held on 28th August, 2020*
- *3rd revision of CSR and Sustainability Policy was approved by 297th BOD held on 24th March, 2022*
- *4th revision of CSR and Sustainability Policy was approved by 304th BOD held on 22nd December, 2022*
- *Clause-7.1 (g) inserted in the CSR & Sustainability Policy as per approval accorded in 325th meeting of BOD held on 11.08.2025*

1. Preamble

SJVN Limited, a Nav Ratna, CPSE under the administrative control of Ministry of Power, Govt. of India, was incorporated on May 24, 1988, as a joint venture of the Government of India (GOI) and the Government of Himachal Pradesh (GOHP). Beginning with a single Project and single State operation (i.e. India's largest 1500 MW Nathpa Jhakri Hydro Power Station in Himachal Pradesh) the Company has commissioned five projects totaling 2015.2 MW of installed capacity including wind and solar power. SJVN is presently implementing power projects in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Maharashtra and Gujarat in India besides neighboring countries viz. Nepal and Bhutan. SJVN envisions for best-in-class Indian Power Company globally admired for developing affordable clean power and sustainable value to all stakeholders.

The CSR and Sustainability Policy of SJVN has been evolved based on CSR and Sustainability guidelines issued from time to time by the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises and the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules 2014 notified by Ministry of Corporate Affairs in pursuance to the Companies Act, 2013 and various amendments/ clarifications notified from time to time. In case of any contradiction between this policy and provisions of the Companies Act, the later shall prevail.

2. Definitions

In this policy, unless the context otherwise requires:

a) **"Act"** means the Companies Act,2013;

b) **"Administrative Overheads"** means the expenses incurred by the company for 'general management and administration' of Corporate Social Responsibility functions in the company but shall not include the expenses directly incurred for the designing, implementation, monitoring, and evaluation of a particular Corporate Social Responsibility project or programme;

c) **"Corporate Social Responsibility (CSR)**" means the activities undertaken by a Company in pursuance of its statutory obligation laid down in section 135 of the Act in accordance with the provisions contained in these rules, but shall not include the following, namely: -

i. activities undertaken in pursuance of normal course of business of the company: Provided that any company engaged in research and development activity of new vaccine, drugs and medical devices in their normal course of business may undertake research and development activity of new vaccine, drugs and medical devices related to COVID-19 for financial years 2020-21, 2021-22, 2022-23 subject to the conditions that- 14 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (a) such research and development activities shall be carried out in collaboration with any of the institutes or organisations mentioned in item (ix) of Schedule VII to the Act; (b) details of such activity shall be disclosed separately in the Annual report on CSR included in the Board's Report;

ii. any activity undertaken by the company outside India except for training of Indian sports personnel representing any State or Union territory at national level or India at international level;

iii. contribution of any amount directly or indirectly to any political party under section 182 of the Act;

iv. activities benefitting employees of the company as defined in clause (k) of section 2 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019);

v. activities supported by the companies on sponsorship basis for deriving marketing benefits for its products or services;

vi. activities carried out for fulfilment of any other statutory obligations under any law in force in India;

d) **"CSR Committee**" means the Corporate Social Responsibility Committee of SJVN Board constituted as per section 135 of the Act.

e) **"CSR Policy" means** a statement containing the approach and direction given by the board of a company, taking into account the recommendations of its CSR Committee, and includes guiding principles for selection, implementation and monitoring of activities as well as formulation of the annual action plan;

f) **"Net profit**" means the net profit of SJVN as per its financial statement prepared in accordance with the applicable provisions of the Act, but shall not include the following, namely: -

i. any profit arising from any overseas branch or branches of the SJVN' whether operated as a separate company or otherwise; and

ii. any dividend received from other companies in India, which are covered under and complying with the provisions of section 135 of the Act.

g) **"Ongoing Project"** means a multi-year project undertaken by a Company in fulfilment of its CSR obligation having timelines not exceeding three years excluding the financial year in which it was commenced, and shall include such project that was initially not approved as a multi-year project but whose duration has been extended beyond one year by the board based on reasonable justification;

h) **"Public Authority"** means 'Public Authority' as defined in clause (h) of section 2 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005);

i) **"Section"** means a section of the Act.

Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. SJVN's CSR Vision

To make people and earth partners in our growth.

4. SJVN's CSR Mission

SJVN is pledged to fulfill its social and environmental commitments; because we know that our growth is meaningful when we share it with society.

5. SJVN's CSR and Sustainability Policy Statement and Objective

SJVN is committed to the concerns of its stakeholders and strives to maintain good standards of Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainability in its business activities. To meet this commitment, SJVN will respect the rule of law, local communities and societies at large and will make conscious efforts to enhance the quality of life and environmental sustainability through its CSR and Sustainability programmes.

6. SJVN's Approach for CSR and Sustainability

Power projects are located in far reaches of isolated regions which are scarce in infrastructural facilities and where the populace is socio-economically backward. SJVN being a responsible corporate citizen strives to bring about overall positive impact on societies living in such regions. Besides, its CSR and Sustainability activities, SJVN will also cover a wide range of issues relevant to the larger society and of activities that could have a lasting impact. SJVN endeavors to leverage green technology, processes and standards to produce goods and services that contribute to social and environmental sustainability. CSR programmes in SJVN shall not be adjunct to R&R activities. Further CSR activities shall not include the activities undertaken in pursuance of normal course of business of SJVN.

7. CSR Implementation Process

7.1 CSR Committee for approving CSR Policy and Programs

In line with the provisions of Companies Act, 2013, there will be a Corporate Social Responsibility Committee at the Board level consisting of three or more directors, out of which at least one director shall be independent. The CSR Committee shall formulate and recommend to the Board, an annual action plan in pursuance of its CSR policy, which shall include the following, namely: -

a. the list of CSR projects or programs that are approved to be undertaken in areas or subjects specified in Schedule VII of the Act;

b. the manner of execution of such projects or programs as specified in sub-rule (1) of rule 4;

c. the modalities of utilization of funds and implementation schedules for the projects or programs;

d. monitoring and reporting mechanism for the projects or programmes; and

e. details of need and impact assessment, if any, for the projects undertaken by the company: Provided that Board may alter such plan at any time during the financial year, as per the recommendation of its CSR Committee, based on the reasonable justification to that effect."

f. The CSR committee will also take care for unspent amount of CSR budget.

g. The CSR Committee will meet at least two times in a financial year.

7.2 CSR Implementing Agency

In pursuance to the Companies (CSR) amendment Rules, 2021 SJVN will implement CSR programs though a registered Trust under section 12 A and 80 G of the Income Tax Act, 1961 established by SJVN. SJVN has already a registered Trust under section 12 A and 80 G of the Income Tax Act, 1961. The registered Trust called SJVN Foundation in the nature of a Trust comprising of the following trustees will implement CSR and Sustainability activities:

a)	Director (Personnel)	-Chairman
b)	Corporate Head(F&A)	-Member
c)	Corporate Head (HR)	-Member
d)	Head (Corporate Planning)	-Member
e)	HOP (Project -1)	-Member
f)	HOP (Project -2)	-Member
g)	Corporate Head(R&R/CSR)	-Member Secretary

The tenure of Member-Trustee from each of the two projects will be for two years. Every project will have its representative in the Board of Trustees on a rotational basis to be nominated by the Trustees. The Trust with the permission of the Chairman can co-opt any special invitee from time to time. The charter of the Foundation will cover the following:

a. SJVN's vision and mission on societal issues.

b. To support institutions for long term activities in the areas of education & skill development; health & hygiene; sustainable development; infrastructural & Community development; preservation and promotion of culture, heritage & sports; assistance during natural disaster; and welfare of disadvantaged and the underprivileged section of society etc. i.e projects or programs relating to activities specified in Schedule VII of the Companies Act,2013.

c. To allocate a certain portion of the budget to cover works that meet local demands in project areas and to support relief measures during natural disasters.

d. To identify schemes in project areas in consultation with local communities and administration and regular dialogue & consultation with key stakeholders to ascertain their view as per Communication and Knowledge Management Plan for stakeholders that is already in place.

e. To leverage technology for production of goods and services which are resource-efficient,

consumer-friendly and environmentally sustainable.

- **f.** To align the CSR and Sustainability programmes with the activities as may be specified from time to time by statutory authorities/ Govt. Notifications.
- **g.** To have overall supervision, monitoring and control of CSR and Sustainability programmes

7.3 Involvement of community-based organizations

SJVN will involve Community Based Organizations (CBOs) whether formal or informal, voluntary agencies or NGOs, govt. institutes, academic organizations, professional consultancy organizations etc for evolving CSR programs and strategy for effective CSR implementation.

7.4 Implementation Structure

SJVN Foundation will implement CSR programs through two-tier structure i.e. Project Level and Corporate Level. The project level CSR Department will be responsible for implementing CSR programs whereas Corporate Level CSR Department will be responsible for implementation as well as coordination and reporting.

8. Strategy for execution of CSR

- **a)** CSR & Sustainability plan will be formulated based on need assessment in consultation with local bodies, Panchayats, district administration, various stakeholders, village development advisory committees (VDAC), etc.
- **b)** SJVN Foundation, the implementing agency of CSR programs may further execute the CSR programs engaging govt. agencies, Community Based Organizations (CBOs), Voluntary Agencies or NGOs, Govt. Institutes, Academic Organizations, Professional Organizations, agencies registered under section 12(A) and 80 (G) as per requirement of the MCA etc. having track record for executing CSR works. In order to observe transparency and due diligence in selection and execution of CSR activities above the threshold limit (decided by SJVN Foundation from time to time), such executing agencies (NGO, Community Based Organizations) will be required to fill up the 'CSR & Sustainability Compliance Checklist' *(**Appendix-1**)* and the same will be scrutinized by SJVN Foundation. However, submission of checklist will not be required for projects executed through Govt. Agencies.
- **c)** The modalities of execution of the project will be decided on case-to-case basis while obtaining approval. The duration and execution schedule of each CSR activity/ program/ project will be decided upon the nature of the project. Release of instalments will be linked to the execution of stages and implementation schedule at different milestones (wherever possible within the pre-estimation of quantum of resources required within the allocated budget).
- **d)** As far as possible, CSR and Sustainability activities are taken up in project mode. Every effort will be made to ensure that approved activities are executed within time schedule. Once an activity is approved and funds are allocated, the activity is continued and may be carried forward as an ongoing project upto 03 years (excluding the year in which the program was started) in line with CSR modalities.

9. CSR and Sustainability programs

- **a)** The CSR & Sustainability program will primarily emanate from Schedule VII of the Companies Act, 2013 and the same will be a part of this policy as per ***Appendix-2*** as amended from time to time. However, as per the General Circular no. 01/2016 dated 12/01/2016, Schedule VII will be interpreted liberally so as to capture the essence of the subjects enumerated in the said Schedule. Due diligence will be used while selecting the CSR activities.
- **b)** For undertaking CSR and Sustainability activities, SJVN shall give preference to the local area and areas around it where it operates, for spending the amount earmarked for Corporate Social Responsibility activities.
- **c)** SJVN will adopt aspirational Districts as per the guidelines of DPE, GOI.

d) SJVN will utilize CSR funds as per Annual National CSR Theme notified by DPE.

10. Budget Allocation

a) The Annual CSR and Sustainability Budget provision for a financial year will be 2% of the average net profits made during the three immediately preceding financial years or any limit prescribed by the law.

b) The average net profit shall be calculated following the provisions of Section 198 of the Companies Act, 2013 revised from time to time.

c) The CSR funds will be transferred to a dedicated/ special account opened in the name of SJVN Foundation.

d) If the CSR funds allocated in a financial year are not spent fully, the Trust shall inform the CSR Committee the reasons for unutilized funds; subsequently, the BOD shall include the reasons in its report made under the clause (0) of subsection 134 of the Companies Act, 2013. The unutilized fund in SJVN Foundation account, if any, on ongoing CSR programs will be carried forward to next year and will become part of the next year’s CSR & Sustainability Budget.

e) Further, the surplus arising out of the CSR projects or programs or activities shall not form part of the business profit of the company and will become part of the current/ next year’s CSR and Sustainability Budget Plan.

f) Pursuant to CSR amendment Rules a separate Unspent CSR bank account will be opened.

g) Transfer of unspent CSR amount. - Until a fund is specified in Schedule VII for the purposes of subsection (5) and (6) of section 135 of the Act, the unspent CSR amount, if any, shall be transferred by the company to any fund included in schedule VII of the Act.”.

h) The CSR budget utilized over and above the statutory annual budget may be offset in next financial years as per CSR Amendment Rules 2021.

i) The Board of SJVN shall satisfy itself that the funds so disbursed have been utilized for the purposes and in the manner as approved by it and the Chief Financial Officer or the person responsible for financial management shall certify to the effect.

11. CSR Reporting

The Board's Report of a company covered under these rules pertaining to any financial year shall include an annual report on CSR containing particulars specified in **Annexure-I** or **Annexure-II,** as applicable and given under the Companies (CSR) Amendment Rules, 20th September, 2022 or as notified from time to time.

12. Monitoring, Evaluation and Impact Assessment

a) Monitoring: Monitoring will be done to ensure timely completion of activities and to achieve deliverables. Regular reviews will be done at Unit level, wherein bottlenecks will be identified and remedial measures will be taken.

Periodic MIS on status and issues of CSR & Sustainability activities will be put up to appropriate level and intervention will be sought wherever required. Review of CSR and Sustainability activities and budget utilization will be done at corporate level by SJVN Foundation and CSR Committee of SJVN.

Besides, SJVN shall prepare a separate chapter on CSR and Sustainability activities for its Annual Report.

b) Evaluation: The impact evaluation study of the CSR and Sustainability activities will be carried out by an independent external agency after every four years. The evaluation report

will reveal the effectiveness of CSR and Sustainability programs of SJVN. The findings from such studies will help to frame appropriate corrective measures.

c) **Social Impact Assessment of CSR Programs**: SJVN shall undertake impact assessment, through an independent agency, of their CSR projects having outlays of one crore rupees or more, and which have been completed not less than one year before undertaking the impact study. The expenditure on social impact assessment study shall be either 2% of the CSR expenditure or ₹50 lakh whichever is higher or as per guidelines provided time to time by MCA, GoI.

13. Display of CSR activities on its website

The Board of Directors of the Company shall mandatorily disclose the composition of the CSR Committee, and CSR Policy and Projects approved by the Board on their website, if any, for public access.

14. Policy Review

The CSR Committee will ensure that CSR implementation in SJVN is aligned with the CSR Rules and various amendments notified by GOI. The CSR Committee will recommend revision in SJVN CSR Policy time to time as required.

Appendix-1

SJVN CSR Compliance Check List

EXECUTIVE SUMMARY

About Project		
Title of the proposed project		
Proposed project activities	1. 2. 3. 4.	
Objectives of the proposed project	1. 2. 3. 4.	
Who are direct beneficiaries with approx. number		
Project location		
Total project cost and	Total Project Cost:	Total OPEX: Total CAPEX :
Support required from SJVN		
Proposed project duration		

About Organization/Agency	
Name & registered address of executing agency:	
Goals and objectives of the agency as per Memorandum of Association/Bylaws/Articles of Association	
Legal status of agency and date of Registration	
Contact details (office no., mobile no. and e-mail)	

1. All the information sought is mandatory to be complied with. Failing which, proposal would be considered as incomplete and liable to be rejected.

2. All documents submitted to this office should be in English or Hindi. In case, the documents are in local l anguage, translation duly certified by the legal authority must be submitted.

SN	All information/documents mentioned below are mandatory in order to examine the proposal	Sl.No.
1	**Organization Details**	
1.1	Brief description of the organization/agency	
1.2	Details of similar projects ongoing/completed by the organization/agency in previous three years	
1.3	The impact assessment (Third party) of the previous projects executed by your organization in Details of previous support received from SJVN.	
1.4	The details of largest project undertaken by the agency in recent past. Please provide the financial implication involved in it.	
2	**Project Details**	
2.1	Details of the proposed CSR project to be undertaken by your organization	
2.2	Brief on Goals and objectives of the project	
2.3	Report of Need Assessment/Baseline Survey for the proposed project, if any. Justification for taking up proposed CSR project	
2.4	Brief about the targeted beneficiaries under proposed CSR project	
2.5	Methodology of the selection of the beneficiaries and number of beneficiaries in detail	
2.6	Details about physical and social milestones/deliverables to be achieved through the proposed CSR project	
2.7	Detail timeline/duration of the proposed project	
2.8	Budget estimate of the project with detailed budget break-up of each expenditure head along with documents providing rate reasonability.	
2.9	What is the monitoring mechanism for the project as far as project activities and benefits to the beneficiaries are concern?	
2.10	Documents depicting the funding sources for the total budget of project under reference other than SJVN and details of the amount funded by each organization, if any.	
2.11	How sustainability of the project is planned to be ensured?	
2.12	Branding/Visibility/Mileage to SJVN from the project.	
3	**Mandatory Documents Required (at initial stage)**	
3.1	Copy of Trust Deed /Registration Certificate/By laws of Society (Trust/Society/Section 8 company must have been registered minimum for the past three years)	
3.2	Income Tax Exemption Certificate, if any	
3.3	TDS Exemption Certificate for the current FY	

3.4	Cancelled Cheque	
3.5	Copy of PAN Card	
3.6	Copy of Audited Account Statement of previous 3 financial years	
3.7	Affidavit (as per Annexure I)	
4.	**If Civil Construction is involved**	
4.1	The documents proving ownership of land where the civil construction is proposed. In case the documents are in local language, please submit copy of its English/Hindi translation duly certified by the legal authority.	
4.2	Copy of approved construction map and estimate duly vetted and signed by the certified Architect with NOC from the government authorities for construction	
4.3	Detail budget estimates of the construction plan as per SOR/DSR	
5	**If Procurement of Capital Items are Involved**	
5.1	What is the need of requirement of capital items with respect to benefits to the beneficiaries?	
5.2	What is the life of capital items and who will bear the maintenance cost of the capital items and till what duration?	
5.3	Quotations for each of the capital items.	

Declaration:

I hereby declare that whatever has been stated above is true to the best of my knowledge, correct and nothing has been concealed there from.

Place:

Date:

Signatory with Common Seal

Annexure I

[Format for Affidavit]

(Affidavit on Rs. 100 non-judiciary stamp paper duly notarized)

UNDERTAKING

1. We,______________(Name of agency), PAN no.__________ registered_______ at (registered address) have not taken any support from any of the SJVN work centers including Headquarters & corporate office during the financial year<   >
2. There are no pending disputes or enquiries in connection with cheating, misappropriation of funds exploitation of beneficiary, etc. on the name of______________ (Name of agency). The organization has never been "Black listed "or "Reprimanded" either by Govt./Govt. Agencies/CPSEs/NCSR Hub or by reputed private organization.
3. The proposed project is neither covered under any existing scheme of Govt. of India / State Govt. nor is being funded by any other organization to ensure that there no duplicity of the CSR activity under reference.
4. Any of Board of Directors/Trustees/Executive Committee members of______________ (name of agency) or the organization itself does not have any material or pecuniary relationship of transactions with SJVN, its Promoter, its Directors, its Senior Management or its Holding Company, its Subsidiary and Associates which may influence the process of administrative approval or financial concurrence or fund disbursement for the proposed project.
5. We, ________________ (name of agency have not directly or indirectly supported/contributed by any political party or its affiliations and vice-versa.
6. We, ___________________ (name of agency) assure that if SJVN approves any financial support towards proposed CSR project;
   a) We will submit a Fund Utilization Certificate to SJVN, issued by a Chartered Accountant.
   b) We will retain all relevant documents like Cash Book, Bank Book, Ledger, Journal, Relevant Bills, Vouchers and Receipts etc. for a period of at least 03 years from the Project/Event.
   c) That during this period of 3 years agency will allow authorized representative(s) of SJVN for audit (s) / inspection(s) of above documents as and when asked by SJVN.
   d) That during the period of 3 years as mentioned above, on SJVN's demand agency will provide the desired documents/ information pertaining to income & expenditure detail of the project/ event including copies of relevant Bills, Vouchers and Receipts etc. for internal and/ or external purposes (for supplying to 3rd party) as per law.

Declaration:

I hereby declare that whatever has been stated above is true to the best of my knowledge, correct and nothing has been concealed there from.

Date: **Authorized signature**

Place: **(Seal of the organization)**

An indicative list of CSR & Sustainability programs

Item No.	Schedule VII	CSR & Sustainability projects/programs/activities
I.	Eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting health care including preventive healthcare and sanitation including contribution to the Swach Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation and making available safe drinking water.	• Health Care through Mobile Medical Units, Ayurvedic & Allopathic Health Camps. • Support for welfare projects for persons with disabilities. • Support to agencies for implementing health projects and health institutions • Construction of Public Toilets • Activities related to Swachh Bharat Mission. • Augmentation and renovation of natural water resources etc.
II.	Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly and the differently abled and livelihood enhancement projects.	• Sponsoring local youths in Govt. ITIs/ Polytechnic colleges. • Strengthening and augmentation of technical colleges. • Scholarship for students giving thrust on EWS, BPL, PWD students • Reward to meritorious students. • Skill development programs for youths through accredited agencies aiming at employment generation and income enhancement • Farm (Horticulture, Agriculture and Veterinary) training and awareness programs to farmers for income enhancement • Financial support for the strengthening of educational institutes, etc.
III.	Promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans; setting up old age homes, day care centers and such other facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups.	• Financial assistance for setting up homes and hostels for women and orphans, old age home, day care centers. • Financial assistance for women and child welfare. • Women Empowerment program • Healthcare of old aged through MMUs etc.

IV.	Ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agroforestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water including contribution to the Clean Ganga Fund set-up by the Central Government for rejuvenation of river Ganga.	• Activities related to protecting and maintaining the environment including climate action. • Energy conservation programme. • Soil conservation measures, etc.
V.	Protection of national heritage, art and culture including restoration of buildings and sites of historical importance and works of art; setting up public libraries; promotion and development of traditional art and handicrafts;	• Financial assistance for the construction and renovation of national heritage sites. • Adoption of cultural heritage sites • Support for setting up public libraries • Promotional and development traditional arts and crafts, etc.
VI.	Measures for the benefit of armed forces veterans, war widows and their dependents;	• Activities for the benefit of armed forces veterans, war widows and their dependents, etc.
VII.	Training to promote rural sports, nationally recognized sports, paralympic sports and Olympic sports	• Activities for promotion of sports, etc.
VIII.	Contribution to the prime minister's national relief fund or Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES Fund) or any other fund set up by the central govt. for socio economic development and relief and welfare of the schedule caste, tribes, other backward classes, minorities and women;	• Support to the victims of Natural Calamities. • Contribution of Prime Minister Relief Fund. • Activities for the welfare of SCs, STs, OBCs and Women, etc.
IX.	Contribution to incubators funded by Central Government or State Government or any agency or Public Sector Undertaking of Central Government or State Government, and contributions to public funded Universities, Indian Institute of Technology (IITs), National Laboratories and Autonomous Bodies (established under the auspices of Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Indian Council of Medical Research (ICMR), Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), Department of Atomic Energy (DAE), Defense Research and Development Organization (DRDO), Department of Biotechnology (DBT),	• Support for technological development activities, etc.

	Department of Science and Technology (DST), Ministry of Electronics and Information Technology) engaged in conducting research in science, technology, engineering and medicine aimed at promoting Sustainable Development Goals (SDGs).	
X.	Rural development projects.	• Support for the infrastructural and community development activities in rural area. Development of farm-based entrepreneurships, practices aiming at livelihood promotion through participatory approach, etc.
XI.	Slum area development.	• Activities for cleanliness, health and education and other development, etc.
XII.	Disaster management, including relief, rehabilitation and reconstruction activities	• Assistance during natural calamities. • Rehabilitation of family accepted by any natural calamities or any other activities. • Community assets by Pandemic/ Epidemic, etc. • COVID-19 Measures

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत्शीलता नीति

संशोधन–IV

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत्शीलता नीति– संशोधन–IV
संशोधन–IV
विषय सूची

विषय सूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठसंख्या
1	प्रस्तावना	17–17
2	परिभाषाएं	17–18
3	एसजेवीएन का सीएसआर विजन	18–18
4	एसजेवीएन का सीएसआर मिशन	18–18
5	एसजेवीएन का सीएसआर एवं सतत्शीलता नीति वक्तव्य एवं उद्देश्य	18–18
6	सीएसआर एवं सतत्शीलता के लिए एसजेवीएन का दृष्टिकोण	18–18
7	सीएसआर क्रियान्वयन प्रकिया	18–19
8	निष्पादन तथा क्रियान्वयन के लिए रणनीति	20–20
9	सीएसआर और सतत्शीलता कार्यक्रम	20–20
10	बजट आबंटन	20–21
11	सीएसआर रिपोर्टिंग	21–21
12	अनुवीक्षण, मूल्यांकन और प्रभाव आकलन	21–21
13	सीएसआर गतिविधियों का अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शन	21–21
14	नीति की समीक्षा	21–21
संख्या	**परिशिष्ट**	
1	एसजेवीएन सीएसआर अनुपालन जांच सूची	22–25
2	सीएसआर एवं सतत्शीलता कार्यक्रमों की एक सांकेतिक सूची	26–27

- सीएसआर एवं सतत्शीलता नीति निदेशक मंडल की 30 नवम्बर, 2011 को हुई 208वीं बैठक में मंजूर की गई।
- सीएसआर एवं सतत्शीलता नीति में प्रथम संशोधन निदेशक मंडल की 07 नवम्बर, 2014 को संपन्न हुई 232वीं बैठक में मंजूर किया गया।
- सीएसआर एवं सतत्शील नीति में द्वितीय संशोधन निदेशक मंडल की 28 अगस्त, 2020 को संपन्न, हुई 282वीं बैठक में मंजूर किया गया।
- सीएसआर एवं सतत्शील नीति में तृतीय संशोधन निदेशक मंडल की 24 मार्च, 2022 को संपन्न, हुई 297वीं बैठक में मंजूर किया गया।
- सीएसआर एवं सतत्शील नीति में चतुर्थ संशोधन निदेशक मंडल की 22 दिसम्बर 2022 को संपन्न, हुई 304वीं बैठक में मंजूर किया गया।
- खण्ड–7.1 (जी) को सीएसआर एवं सतत् विकास नीति में 11 अगस्त 2025 को आयोजित निदेशक मंडल की 325वीं बैठक में स्वीकृति के उपरान्त शामिल किया गया।

प्रस्तावना

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उपक्रम के रूप में एक नव रत्न सीपीएसई के तौर पर एसजेवीएन लिमिटेड की स्थापना 24 मई 1988 को हुई थी। एकल परियोजना और एकल राज्य प्रचालन (अर्थात हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन) से शुरू करके कंपनी ने पवन तथा सौर विद्युत सहित कुल 2015.2 मेगावाट की 5 परियोजनाएं चालू कर दी हैं। वर्तमान में एसजेवीएन पड़ोसी देशों नेपाल और भूटान के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है। एसजेवीएन का विजन है कि भारतीय विद्युत क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ् कंपनी बनने की ओर निरंतर प्रयत्नशील तथा स्वच्छ एवं किफायती विद्युत उत्पादन करने और सभी स्टेकहोल्डर्स का सतत् मूल्यवर्धन करने वाली कंपनी के रूप में जिसकी छवि की वैश्विक स्तर पर सराहना हो।

एसजेवीएन की सीएसआर तथा सतत्शीलता नीति भारी उद्योग तथा सार्वजनिक मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी सीएसआर तथा सतत्शीलता मार्ग निर्देशों, कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसरण में अधिसूचि कंपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति नियम 2014 तथा समय–समय पर अधिसूचित विभिन्न संशोधनों स्पष्टीकरण के आधार पर तैयार की गई है। इस नीति तथा कंपनी अधिनियम के प्रावधानों में कोई अंतर्विरोध होने की स्थिति में कंपनी अधिनियम के प्रावधान अधिमान्य होंगे।

2. परिभाषाएं

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः

(क) **''अधिनियम''** से अभिप्राय कंपनी अधिनियम, 2013 है

(ख) **''प्रशासनिक अतिरिक्त व्यय''** का अभिप्राय कंपनी में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कार्यों के 'सामान्य प्रबंधन और प्रशासन' के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय से है, परंतु इस में किसी विशिष्ट कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना या कार्यक्रम के डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुवीक्षण एवं आंकलन के लिए प्रत्यक्ष रूप से किए गए व्यय शामिल नहीं है।

(ग) **''कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)''** से अभिप्राय अधिनियम की धारा 135 में निर्धारित अपने वैधानिक दायित्व के अनुसरण में कंपनी द्वारा इन नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार की गई गतिविधियां हैं, परंतु इस में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगेः–

(i) कंपनी के सामान्य कारोबार के अनुसरण में की गई गतिविधियांः बशर्ते कि कोई भी कंपनी जो अपने व्यवसाय में नए टीके, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के अनुसंधान और विकास गतिविधि में लगी हो, तो वे वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23 के लिए कोविड–19 से संबंधित टीके, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के अनुसंधान और विकास गतिविधियां कर सकती है, बशर्तें 14 भारत का राजपत्रः असाधारण [भाग II–सेक्शन 3(i)], के अध्यधीन (क) इस प्रकार की अनुसंधान और विकास गतिविधियों को अधिनियम की अनुसूची VII की मद (ix) में उल्लिखित किसी भी संस्थान या संगठन के सहयोग से किया जाएगा ; (ख) बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट में ऐसी गतिविधि का विवरण अलग से दिया जाएगा।

(ii) राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खेल कर्मियों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त भारत के बाहर कंपनी द्वारा की गई कोई भी गतिविधि;

(iii) अधिनियम की धारा 182 के तहत किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का योगदान ;

(iv) वेतन संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 2 के खंड (V) में परिभाषित कंपनी के कर्मचारियों के लाभार्थ गतिविधियाँ ;

(V) अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए विपणन लाभ प्राप्त करने के लिए प्रायोजन के आधार पर कंपनियों द्वारा समर्थित गतिविधियाँ ;

(vi) भारत में यथा लागू किसी भी कानून के तहत किन्हीं अन्य वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए की जाने वाली गतिविधियां ;

(घ) **''सीएसआर समिति''** से अभिप्राय अधिनियम की धारा 135 में निर्दिष्ट एसजेवीएन बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक दायित्वय समिति हैः

(ड.) **''सीएसआर नीति''** से अभिप्राय कंपनी के बोर्ड द्वारा इसकी सीएसआर समिति की सिफारिशों के परिप्रेक्ष में बताए गए दृष्टिकोण और दिशा से युक्त एक वक्तव्य है और इस में गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के साथ–साथ वार्षिक कार्य योजना को बनाने के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांत शामिल हैं।

(च) **''शुद्ध लाभ''** से अभिप्राय अधिनियम के लागू उपबंधों के अनुसरण में तैयार किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार

एसजेवीएन का शुद्ध लाभ है किन्तु इन में निम्नलिखित शामिल नहीं हैः

(i) एसजेवीएन की विदेश स्थित किसी शाखा अथवा शाखाओं, चाहे वह अलग कंपनी के रूप में अथवा अन्यथा कार्यरत है, से प्राप्त कोई लाभ, तथा

(ii) भारत में अन्य कंपनियां जो अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत शामिल है अथवा इसके अनुबंधों का अनुपालन करती है, से प्राप्ति कोई लाभांश।

(छ) **''चल रही परियोजना''** से अभिप्राय कंपनी द्वारा अपने सीएसआर दायित्व की पूर्ति के लिए आरंभ की गई एक बहु–वर्षीय परियोजना है, जिसमें वित्तीय वर्ष जिसमें इसे आरंभ किया गया था, को छोड़कर तीन वर्ष से अधिक की समय सीमा नहीं है, और इस में ऐसी परियोजना शामिल होगी जिसे आरंभ में एक बहुवर्षीय परियोजना के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया था, परंतु जिसकी अवधि को समुचित औचित्य के आधार पर बोर्ड द्वारा एक वर्ष से अधिक बढ़ा दिया गया है

(ज) **''सार्वजनिक प्राधिकारी''** का अभिप्राय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित' सार्वजनिक प्राधिकारी' है

(झ) **''खंड''** का अभिप्राय अधिनियम के एक खंड से है।

इन नियमों में प्रयुक्त वह शब्दि और अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं उनका अभिप्राय वही होगा जो अधिनियम में उल्लिखित है।''

3. एसजेवीएन सीएसआर विजन

अपनी उन्नति में लोगों और पृथ्वी को भागीदार बनाना।

4. एसजेवीएन का सीएसआर मिशन

एसजेवीएन अपनी सामाजिक तथा पर्यावरण वचनबद्धता को पूर्ण करने के प्रति कृत संकल्प है क्योंकि हमारी उन्नति की सार्थकता इसे समाज के साथ साझा करने में निहित है।

5 एसजेवीएन का सीएसआर एवं सतत्‌शीलता नीति वक्तव्य एवं उद्देश्य

एसजेवीएन अपने स्टेक होल्डरों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है तथा अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं सतत्‌शीलता के उच्च मानकों को बनाए रखने के प्रयास करता है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए एसजेवीएन स्थानीय समुदाय मुख्यतः विधि, स्थानीय समुदाय और समाज का सम्मान करेगा तथा अपने कारपोरेट सामाजिक तथा सतत्‌शील कार्यक्रमों के जरिए जीवन गुणवत्ता तथा पर्यावरणीय सतत्‌शीलता में वृद्धि के प्रति सचेत रहेगा।

6. सीएसआर और सतत्‌शीलता के लिए एसजेवीएन का दृष्टिकोण

विद्युत परियोजनाएं दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है, जहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है तथा आबादी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी होती है। एक उत्तरदायी कंपनी के नाते एसजेवीएन ऐसे क्षेत्रों के वासी लोगों के जीवन में समग्र रूप से सकारात्मक बदलाव लाने हेतु प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त व इसकी कारपोरेट सामाजिक दायित्वा (सीएसआर) एवं सतत्‌शील गतिविधियों में वृहतर समाज के प्रासंगिक मुद्दे तथा स्थायी प्रभाव डाल सकने वाली गतिविधियां भी शामिल होंगी। एसजेवीएन ऐसे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादनार्थ हरित प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं और मानकों के अधिकाधिक उपयोग की कोशिश करेगा जो एसजेवीएन के सीएसआर कार्यक्रमों की सामाजिक एवं पर्यावरणीय सतत्‌शीलता को बढ़ाए और ये पुनर्वास एवं पुनस्थापन गतिविधियों से गौण नहीं होंगी और सीएसआर गतिविधियों में वे गतिविधियां शामिल नहीं होगी जो एसजेवीएन की सामान्यं कारोबारी गतिविधियों मे की जानी हैं।

7. कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यान्वयन प्रक्रिया

7.1 सीएसआर नीति और कार्यक्रमों के अनुमोदनार्थ सीएसआर समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड स्तर पर एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति होगी जिसमें तीन या इससे अधिक निदेशक होंगे जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा। सीएसआर समिति अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी और बोर्ड को सिफारिश करेगी, जिसमें निम्नवत शामिल होंगेः

(क) सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की सूची जिन्हें अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित किया गया है ;

(ख) नियम 4 के उप–नियम (1) में निर्दिष्ट ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका ;

(ग) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निधियों के उपयोग के तौर–तरीके और कार्यान्वयन शेड्यूल ;

(घ) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र

(ड.) कंपनी द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के लिए आवश्यकता और प्रभाव मूल्यांकन का विवरण, यदि कोई हो,

बशर्ते कि बोर्ड वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के अनुसार, उस प्रभाव के समुचित औचित्य के आधार पर ऐसी योजना में परिवर्तन कर सकता है।

(च) सीएसआर समिति सीएसआर बजट की अप्रयुक्त राशि का भी ध्यान रखेगी।

(छ) सीएसआर समिति की बैंठक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार होगी

7.2 सीएसआर कार्यान्वयन एजेंसी

कंपनी (सीएसआर) संशोधन नियम, 2021 के अनुसरण में एसजेवीएन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए और 80 जी के तहत एसजेवीएन द्वारा स्थापित एक पंजीकृत ट्रस्ट के माध्यम से सीएसआर कार्यक्रमों को कार्यान्वित करेगा। एसजेवीएन के पास पहले से ही आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए और 80 जी के तहत एक पंजीकृत ट्रस्ट है। एसजेवीएन फाउंडेशन नाम

पंजीकृत ट्रस्ट निम्नलिखित न्यासियों से युक्त ट्रस्ट की प्रकृति में सीएसआर और सततशीलता गतिविधियों को कार्यान्वित करेगा:

क)	निदेशक(कार्मिक)	–अध्यक्ष
ख)	कारपोरेट प्रमुख(वित्त एवं लेखा)	– सदस्य
ग)	कारपोरेट प्रमुख(मानव संसाधन)	– सदस्य
घ)	प्रमुख(निगम आयोजना)	– सदस्य
ड़)	परियोजना प्रमुख(परियोजना–1)	– सदस्य
च)	परियोजना प्रमुख(परियोजना–2)	– सदस्य
छ)	कारपोरेट प्रमुख (आर.एंडआर/सीएसआर)	–सदस्य –सचिव

दोनों परियोजनाओं के ट्रस्ट सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक परियोजना से रोटेशनल आधार पर ट्रस्ट बोर्ड का प्रतिनिधि नामित किया जाएगा। समय–समय पर ट्रस्ट अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी विशेष आमंत्रित व्यक्ति–सदस्या को शामिल कर सकता है।

फाऊंडेशन के चार्टर में निम्नवत तथ्य समाविष्ट होंगे:

क) समाज संबंधी मुद्दों पर एसजेवीएन का विजन एवं मिशन

ख) शिक्षा एवं दक्षता विकास; स्वास्थ्य एवं स्वच्छता; सतत्‌विकास; ढांचागत एवं सामुदायिक विकास; संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन; विरासत एवं खेल; कुदरती आपदाओं के दौरान सहायता; तथा समाज के निर्धन एवं वंचित वर्ग के कल्याण के क्षेत्र से संबंधित दीर्घ अवधि गतिविधियों के लिए संस्थाओं की सहायता करना अर्थात कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–VII में निर्दिष्ट गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएं या कार्यक्रम।

ग) ऐसे कार्यों को शामिल करने के लिए बजट के कुछ हिस्से का आवंटन करना जो परियोजना क्षेत्र में स्थानीय मांगों को पूरा करें तथा कुदरती आपदाओं के दौरान राहत सहायता उपाय।

घ) परियोजना क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों तथा प्रशासन से परामर्श करके स्कीमों की पहचान करना तथा हितधारकों के लिए पहले से लागू संप्रेषण एवं ज्ञान प्रबंधन योजना के अनुसार प्रमुख हितधारकों के साथ उनके दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए नियमित वार्तालाप एवं मंत्रणा।

ङ) ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना जो संसाधन दक्षउपभोक्ता अनुकूल तथा पर्यावरण रूप से सतत्‌शील हैं।

च) सीएसआर एवं सतत्‌शीलता कार्यक्रमों को संविधिक अधिकारियों सरकारी अधिसूचनाओं द्वारा समय–समय पर यथानिर्दिष्ट गतिविधियों के अनुसार करना।

छ) सीएसआर एवं सतत्‌शीलता गतिविधियों का समग्र पर्यवेक्षण अनुवीक्षण तथा नियंत्रण करना।

7.3 समुदाय आधारित संगठनों को संबद्ध करना

एसजेवीएन सीएसआर कार्यक्रमों तथा प्रभावी सीएसआर कार्यान्वयन के लिए रणनीति बनाने हेतु समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) चाहे औपचारिक या अनौपचारिक, स्वैपच्छिक एजेंसियों या एनजीओ, सरकारी संस्थान, शैक्षणिक संगठन, पेशेवर परामर्शी संगठन आदि को शामिल करेगा।

7.4 कार्यान्वायन संरचना

एसजेवीएन फाउंडेशन सीएसआर कार्यक्रमों को द्विस्तरीय अर्थात परियोजना स्तर और कारपोरेट स्तर के माध्यम से कार्यान्वित करेगा। परियोजना स्तर सीएसआर विभाग सीएसआर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा जबकि कारपोरेट स्तर सीएसआर विभाग क्रियान्वयन के साथ–साथ समन्वय एवं रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होगा।

8. सीएसआर के क्रियान्वयन के लिए रणनीति

क) सीएसआर एवं सतत्शीलता योजना को स्थानीय निकायों, पंचायतों जिलाप्रशासन, विभिन्न हितधारकों, ग्राम विकास परामर्श समिति इत्यादि से सलाह लेकर आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया जाएगा।

ख) एसजेवीएन फाउंडेशन, सीएसआर कार्यक्रमों की कार्यान्वयन एजेंसी, सरकारी एजेसिंयों, समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ), स्वैच्छिक एजेंसियों या एनजीओ, सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक संगठनों, सेक्शंन 12(ए) के अंतर्गत पंजीकृत एजेंसिंयों को सम्मिलित करते हुए सीएसआर कार्यक्रमों को निष्पादित करने का अनुभव रखने वाले एमसीए 80(जी) की आवश्ययकता के अनुसार सीएसआर कार्यक्रमों को आगे निष्पादित कर सकती है। सीमा से ऊपर सीएसआर गतिविधियों के चयन (एसजेवीएन फाउंडेशन द्वारा समय–समय पर निर्धारित), निष्पादन में पारदर्शिता और यथोचित कर्मठता का अनुसरण करने के लिए, ऐसी निष्पादन एजेंसियों (एनजीओ, समुदाय आधारित संगठनों) को 'सीएसआर एवं सतत्शीलता जांच सूची' (परिशिष्ट–1) भरनी पड़ेगी तथा इस की एसजेवीएन फाउंडेशन द्वारा विविक्षा की जाएगी। तथापि, सरकारी एजेंसियों के माध्यम से निष्पादित परियोजनाओं के लिए जांच सूची प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है।

ग) परियोजना के निर्माण के तौर तरीकों का फैसला मंजूरी लेते समय मामलों के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक सीएसआर गतिविधि /कार्यक्रम/परियोजना की अवधि तथा क्रियान्वयन शेड्यूल का फैसला परियोजना की प्रकृति के अनुसार किया जाएगा। किश्तें जारी किया जाना विभिन्न माईलस्टोन पर निष्पानदन चरणों तथा क्रियान्वयन शेड्यूल से जुड़ी होंगी (जहां तक संभव हो आवंटित बजट की सीमा के अंदर आवश्यक संसाधनों की मात्रा के पूर्व अनुमान के भीतर)।

घ) जहां तक संभव हो सीएसआर एवं सतत्शीलता गतिविधियां परियोजना तरीके से शुरू की जाएंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए हर कोशिश की जाएगी कि मंजूर की गई गतिविधियां समयगत अनुसूची के अंदर निष्पादित की जाएं। एक बार गतिविधि स्वीकृत हो जाने और निधि आवंटित हो जाने के उपरांत गतिविधि निरंतर जारी रहती है और सीएसआर तौर–तरीकों के अनुसार 03 वर्षों तक (उस वर्ष को छोड़कर जिसमें कार्यक्रम शुरू किया गया था) एक चालू परियोजना के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है।

9. सीएसआर तथा सततशीलता कार्यक्रम

क) सीएसआर तथा सतत्शीलता गतिविधियों का स्रोत मुख्यतः कंपनी अधिनियम 2013 का शेड्यूल–VII होगा तथा यह समय–समय पर यथा संशोधित **अनुलग्नक 2** के अनुसार इस नीति का हिस्सा होगा। यद्यपि दिनांक 12/01/2016 के सामान्य परिपत्र संख्या 01/2016 के अनुसार शेड्यूल की व्याख्या मुक्त रूप से की जाएगी ताकि उक्त शेड्यूल में निहित विषयों के सार तत्व को ग्रहण किया जा सके। सीएसआर गतिविधियों का चयन करते समय विधिवत ध्यान रखा जाएगा।

ख) सीएसआर तथा सतत्शीलता गतिविधियों को चलाने के लिए एसजेवीएन उस क्षेत्र तथा इसके इर्द–गिर्द के क्षेत्रों को कारपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि को खर्च करने के लिए प्राथमिकता देगा जहां इसका कारोबार है।

ग) एसजेवीएन डीपीई, भारत सरकार के मार्ग निर्देशों के अनुसार आकांक्षी जिलों को अपनाएगा।

घ) एसजेवीएन डीपीई द्वारा अधिसूचित वार्षिक राष्ट्रीय सीएसआर विषय के अनुसार सीएसआर निधियों का उपयोग करेगा।

10. बजट आबंटन

क) वार्षिक सीएसआर तथा सतत्शीलता एक वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रावधान गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त शुद्ध लाभ के अंतर्गत 2 प्रतिशत अथवा विधि द्वारा निर्धारित किसी सीमा तक होगा।

ख) शुद्ध लाभ के औसत की गणना समय–समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 198 के प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी।

ग) सीएसआर फंड एसजेवीएन फाउंडेशन के नाम में खोले गए एक अलग /खास खाते में अंतरित किया जाएगा।

घ) यदि एक वित्तीय वर्ष के लिए आंबटित सीएसआर राशि को पूर्ण रूप से व्यय नहीं किया जाता है तो न्यास सीएसआर समिति को राशि का उपयोग न करने के कारणों को सूचित करेगा, तदनुसार निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 के उप–अनुच्छेद 134 के खण्ड (0) के तहत अपनी रिपोर्ट में कारणों को शामिल करेगा। चल रहे सीएसआर कार्यक्रमों पर एसजेवीएन फाऊंडेशन खाते में अप्रयुक्तो निधि, यदि कोई हो, को आगामी वर्ष के लिए आगे ले जाया जाएगा तथा आगामी वर्ष में सीएसआर एवं सतत्शीलता बजट का हिस्सा बन जाएगा।

ङ) तथापि, सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से अधिशेष बची राशि कंपनी के कारोबारी लाभ का हिस्सा नहीं होगी और वर्तमान/अगले साल के सीएसआर तथा सतत्शीलता बजट योजनाओं का हिस्सा बन जाएगी।

च) सीएसआर संशोधन नियमों के अनुसार एक अव्ययित सीएसआर खाता अलग से खोला जाएगा।

छ) अव्ययि सीएसआर राशि का अंतरण – जबतक अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) एवं (6) के प्रयोजनों के लिए निधिनिर्दिष्ट नहीं की जाती है, तबतक अव्ययित सीएसआर राशि, यदि कोई हो, कंपनी द्वारा अधिनियम के शेड्यूल VII में शामिल किसी भी निधि में अंतरित की जाएगी।

ज) सांविधिक वार्षिक बजट से अधिक उपयोग किए गए सीएसआर बजट को सीएसआर संशोधन नियम 2021 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्षों में ऑफसेट किया जा सकता है।

झ) एसजेवीएन का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार वितरित की गई निधियों का उपयोग इसके द्वारा अभिस्वीरकृत उद्देश्यों तथा तरीकों से किया गया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इसे प्रमाणित करेगा।

11. सीएसआर रिपोर्टिंग

किसी भी वित्तीय वर्ष से संबंधित इन नियमों के अंतर्गत कवर की गई कंपनी के मंडल की रिपोर्ट में सीएसआर पर एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल होगी जिस में **अनुबंध–I अनुबंध–II** में निर्दिष्ट विवरण शामिल होंगे, जैसा भी हो और कंपनी (सीएसआर) संशोधन नियम 2021 के अंतर्गत दिया गया हो।

12. अनुवीक्षण, मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन

क) **अनुवीक्षणः** गतिविधियों समय पर पूरी करना और प्रदेय की प्राप्ति को यकीनी बनाने के लिए अनुवीक्षण किया जाएगा। यूनिट स्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी जहां बाधाओं की पहचान की जाएगी और उनके समाधान के उपाय किए जाएंगे।

सीएसआर एवं सतत्शीलता गतिविधियों की स्थिति और मुद्दों पर अवधि एमआईएस समुचित स्तर पर प्रस्तुत की जाएगी और जहां अपेक्षित होगा मार्गदर्शन लिया जाएगा। सीएसआर तथा सतत्शीलता गतिविधियों एवं बजट उपयोग की समीक्षा कारपोरेट स्तर पर एसजेवीएन के एसजेवीएन फाऊंडेशन तथा सीएसआर समिति द्वारा की जाएगी।

इसके अलावा एसजेवीएन अपनी सालाना रिपोर्ट के लिए सीएसआर एवं सतत् शीलता विषय पर एक अलग अध्याय तैयार करेगा।

ख) **मूल्यांकनः** प्रत्येक चार वर्षों में एक स्वतंत्र आंतरिक संस्था द्वारा निगम सामाजिक दायित्व तथा सतत्शील गतिविधियों पर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया जाएगा। मूल्यांकन रिपोर्ट से एसजेवीएन के निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) तथा सतत्शील कार्यक्रमों संबंधी प्रभावशीलता प्रकट होगी। इस प्रकार के अध्ययन से उपयुक्त सुधारात्मक उपाय तैयार करने में सहायता प्राप्त होगी।

ग) **सीएसआर कार्यक्रमों से संबंधित सामाजिक प्रभाव आकलनः** एसजेवीएन एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से एक करोड़ रुपए या उससे अधिक के परिव्यय वाली अपनी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन करवाएगा और जो प्रभाव अध्ययन प्रारंभ करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरा किया गया हो।

13. अपनी वेबसाइट पर सीएसआर गतिविधियों का प्रदर्शन

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सार्वजनिक उपयोग हेतु अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति, और सीएसआर नीति तथा मंडल द्वारा अनुमोदित योजनाओं, यदि कोई हो, की संरचना का अनिवार्य रूप से प्रकटीकरण किया जाएगा।

14. नीति की समीक्षा

सीएसआर समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एसजेवीएन में सीएसआर कार्यान्वयन सीएसआर नियमों और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विभिन्न संशोधनों के अनुरूप हो। सीएसआर समिति आवश्यकतानुसार एसजेवीएन सीएसआर नीति में समय–समय पर संशोधन की सिफारिश करेगी।

परिशिष्ट –1

एसजेवीएन सीएसआर अनुपालना जांच सूची
कार्यकारी संक्षेप

परियोजना के बारे में		
प्रस्तावित परियोजना का शीर्षक		
प्रस्तावित परियोजना गतिविधियां	1. 2. 3. 4.	
प्रस्तावित परियोजना के उद्देश्य	1. 2. 3. 4.	
प्रत्यक्ष लाभग्राहियों की अनुमानित संख्या		
परियोजना की अवस्थिति		
कुल परियोजना लागत तथा	कुल परियोजना लागतः	कुल ओपेक्सः कुल ओपेक्सः
एसजेवीएन से अपेक्षित सुपोर्ट		
प्रस्तावित परियोजना अवधि		
संगठन/एजेंसी के बारे में		
निष्पादन एजेंसी का नाम एवं पंजीकृत पता		
मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार एजेंसी के लक्ष्य तथा उद्देश्य		
एजेंसी की कानूनी स्थिति तथा पंजीकरण की तिथि		
संपर्क विवरण (कार्यालय नंबर मोबाइल नंबर तथा ईमेल)		

1. मांगी गई सारी सूचना का पालन करना अनिवार्य है और ऐसा न करने पर प्रस्ताव को अपूर्ण माना जाएगा और रद्द किया जा सकता है।
2. इस कार्यालय में प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज अंग्रेजी/हिंदी में होने चाहिए। दस्तावेजों के स्थानीय भाषा में होने की स्थिति में कानूनी प्राधिकारी द्वारा उनका विधिवत रूप से सत्यापित अनुवाद अवश्य प्रस्तुत किया जाए।

क्र. सं	नीचे वर्णित सारी सूचना/दस्तावेज प्रस्ताव की पड़ताल के लिए अनिवार्य है।	क्र.सं.
1	**संगठन का विवरण**	
1.1	संगठन/एजेंसी का संक्षिप्त विवरण	
1.2	संगठन /एजेंसी के पिछले 3 वर्षों के दौरान इसी तरह की चल रही/पूरी की गई परियोजनाओं का विवरण	
1.3	आपके संगठन द्वारा निष्पादित पिछली परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन (तीसरा पक्ष) जिसमें एसजेवीएन से प्राप्त गत सुपोर्ट का विवरण दिया जाए।	
1.4	एजेंसी द्वारा हाल ही में हाथ में ली गई सबसे बड़ी परियोजना का विवरण। कृपया इससे संबंधित वित्तीय विवरण दें।	
2	**परियोजना का विवरण**	
2.1	आपके संगठन द्वारा शुरू की जाने वाली प्रस्तावित सीएसआर परियोजना का विवरण।	
2.2	परियोजना के उद्देश्य और लक्ष्य संक्षेप में।	
2.3	प्रस्तावित परियोजना के लिए आवश्यकता मूल्यांकन /बेसलाइन सर्वेक्षण की रिपोर्ट, यदि कोई हो प्रस्तावित सीएसआर परियोजना को शुरू करने का औचित्य।	
2.4	प्रस्तावित सीएस परियोजना के अंतर्गत लक्षित लाभग्रहियों के बारे में संक्षेप।	
2.5	लाभग्राहियों के चयन तथा लाभग्राहियों की संख्या की प्रविधि विस्तार से।	
2.6	प्रस्तावित सीएसआर परियोजना के जरिए प्राप्ति योग्य वास्तविक तथा सामाजिक संदर्भों/प्रदेयों का विवरण।	
2.7	प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत समय सीमा/अवधि।	
2.8	प्रत्येक व्यय शीर्ष के विस्तृत बजट ब्रेकअप सहित परियोजना का बजट आकलन दर दायित्व उपलब्ध करवाने वाले दस्तावेजों के साथ ।	
2.9	जहां तक परियोजना गतिविधियों ओर लाभग्राहियों को लाभों का संबंध है इसके लिए क्या अनुवीक्षण व्यजवस्था है ?	
2.10	एसजेवीएन को छोड़कर संदर्भ के अधीन परियोजना के कुल बजट के वित्तपोषण स्रोत तथा प्रत्येक संगठन द्वारा वित्तपोषित राशि के विवरण, यदि कोई हो, को दर्शाते हुए दस्तावेज।	
2.11	परियोजना की सतत्शीलता सुनिश्चित किया जाना कैसे अभियोजित है ?	
2.12	परियोजना से एसजेवीएन की ब्रांडिंग/विजिबिल्टि/माइलेज।	
3	**अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेज (प्रारंभिक अवस्था में)**	
3.1	ट्रस्टडीड/पंजीकरण प्रमाण पत्र /सोसायटी के नियम की प्रतिलिपि (ट्रस्ट /सोसायटी /सेक्शन 8 कंपनी अनिवार्य रूप से पिछले न्यूनतम 3 वर्षों के लिए पंजीकृत होनी चाहिए।	
3.2	आयकर छूट प्रमाण पत्र यदि हो	
3.3	वर्तमान वर्ष के लिए टीडीएस छूट प्रमाण पत्र ।	
3.4	कैंसिल किया गया चेक	
3.5	पैन कार्ड की प्रति	
3.6	पिछले 3 वित्तीय वर्षों के अंकेक्षित लेखा विवरण की कॉपी।	
3.7	हलफनामा (अनुलग्नक –1 के अनुसार)	
4.	**यदि मामला सिविल निर्माण का है**	
4.1	भूमि का स्वामित्व दर्शाने वाले दस्तावेज जहां सिविल निर्माण प्रस्तावित है। दस्तावेजों के स्थानीय भाषा में होने के मामले में कृप्या कानूनी प्राधिकारी द्वारा इसकी विधिवत रूप से सत्यापित अंग्रेजी/हिंदी अनुवाद की इसकी प्रति प्रस्तुत करें।	
4.2	निर्माण नक्शे तथा अनुमानित लागत की सत्यापित आर्किटेक्ट द्वारा विधिवत रूप से विविक्षत हस्ताक्षरित प्रति निर्माण के लिए सरकारी पदाधिकारियों से एनओसी के साथ।	
4.3	एसओआर/डीएसआर के अनुसार निर्माण योजना का विस्तृरत बजट अनुमान।	
5	**यदि पूंजीगत मदों का प्रापण किया जाना है**	
5.1	लाभग्राहियों को होने वाले लाभों के संबंध में पूंजीगत मदों की क्या अपेक्षित जरूरत है?	
5.2	पूंजीगत मदों का कितना उपयोगिता काल है और पूंजीगत मदों की अनुरक्षण लागत को कौन वहन करेगा और कितनी अवधि के लिए?	
5.3	प्रत्येक पूंजीगत मद के लिए कोटेशन	

घोषणाः मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर जो भी जानकारी दी गई है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है तथा इसमें कोई भो बात छुपाई नहीं गई है।

स्थानः

तिथिः

कॉमन सील के साथ हस्ताक्षरकर्ता

अनुलग्नक–1

[हलफनामे के लिए प्रारूप]
(पेपर पर हलफनामा न्यायकेतर स्टांप के नोटरी किए हुए 100 रूपए)
वचन

1. हमने ....(एजेंसी का नाम), पैन नं में पंजीकृत .... (पंजीकृत पता) वित्तीय वर्ष के दौरान मुख्यालय तथा कारपोरेट कार्यालय सहित किसी एसजेवीएन कार्य केन्द्र. से कोई सुपोर्ट नहीं लिया है।

2. ....(एजेंसी का नाम) के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन, लाभग्राही के फण्ड के अनुचित इस्तेमाल का कोई मामला नहीं है। संगठन को न तो सरकार/सरकारी एजेंसियों /सीपीएसई/ एनसीएसआर हब और न किसी प्रतिष्ठित निजी संगठन द्वारा ''वर्ज्य सूची'' में डाला अथवा ''प्रताड़ित'' किया गया है।

3. यह यकीनी बनाने के लिए कि संदर्भाधीन सीएसआर गतिविधि का दोहरापन न हो, प्रस्तावित परियोजना न तो भारत सरकार/राज्य सरकार को किसी मौजूदा स्कीम में शामिल है और न ही किसी अन्या संगठन से वित्त पोषित है।

4. स्वयं .... (एजेंसी का नाम) के किसी निदेशक मण्डल/न्यासियों/कार्यकारी समिति सदस्यों का एसजेवीएन, इसके प्रमोटरों, इसके वरिष्ठ प्रबंधन का इसकी होल्डिंग कंपनी, इसकी अधीनस्थ कंपनी का सहयोगी कंपनियों के साथ ऐसा कोई तात्विक या धन संबंधी लेनदेन संबंध नहीं है जिसका प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रशासनिक मंजूरी या वित्तीय सहमति या फंड सवितरण की प्रकिया पर असर हो सकता है।

5. हमने .... (एजेंसी का नाम) किसी राजनीतिक दल या इससे संबंद्ध तथा विलोमतः का प्रत्यक्ष या अप्रत्ययक्ष सपोट/अंशदान नहीं लिया है।

6. हम........... (एजेंसी का नाम) आश्वस्त करते हैं कि यदि एसजेवीएन प्रस्तावित सीएसआर परियोजना के लिए वित्तीय सुपोर्ट देता है तोः

(क) हम एक सनदी लेखाकार द्वारा जारी फंड उपयोग प्रमाणपत्र एसजेवीएन को प्रस्तुत करेंगे ।

(ख) हम परियोजनावेज से न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए सभी प्रासंगिक दस्ता्वेज जैसे नकद बही, बैंक बही, लैजर, जर्नल, संबंधित बिल, वाऊचर तथा रसीदें इत्यादि रखेंगे।

(ग) कि 3 साल की इस अवधि के दौरान हम एसजेवीएन के अधिकृत प्रतिनिधि(यों) को, एसजेवीएन द्वारा जब कभी भी कहे जाने पर, उक्त दस्तावेजों के ऑडिट( )/निरीक्षण() की इजाजत देंगे।

(घ) कि उपर्युक्त, 3 वर्षों की अवधि के दौरान एजेंसी एसजेवीएन की मांग पर एजेंसी कानून के अनुसार आंतरिक तथा बाहरी उद्देश्यार्थ (तृतीय पक्ष को देने हेतु) परियोजना/इवेन्टा की आय एवं व्यय संबंधी इच्छित दस्तावेज/सूचनाएं संबंधित बिलों, वाऊचरों तथा रसीदों इत्यादि सहित उपलब्ध कराएगी।

7. **घोषणाः**
मैं एतद्‌वारा यह तक द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर जो भी जानकारी दी गई है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है तथा इसमेंकोई भी बात छुपाई नहीं गई है।

तिथिः______________________

स्थानः______________________

(संगठन की मोहर)

सीएसआर एवं सततशीलता कार्यक्रमों की एक सांकेतिक सूची

मद संख्या	अनुसूची VII	सीएसआर एवं सततशीलता परियोजनाएं /कार्यक्रम/गतिविधियां
I-	भूख, निर्धनता और कुपोषण का उन्मूलन, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, जिसके अंतर्गत निवारक स्वास्थ्य संबंधी देखभाल भी है और स्वच्छता का संवर्धन, जिसके अंतर्गत स्वच्छता के संवर्धन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में अंशदान भी है और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।	• मोबाइल मेडिकल यूनिट, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक स्वास्थ्य शिविरों के जरिए स्वास्थ्य देखभाल • दिव्यांगजनों के लिए कल्याण परियोजनाओं हेतु मदद • स्वास्थ्य परियोजनाएं क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों के लिए तथा स्वास्थ्य संस्थानों के लिए मदद • सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण • स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित गतिविधियां • प्राकृतिक जल स्रोतों इत्यादि का संवर्धन एवं पुनरुद्धार
		कोविड–19 उपाय
II-	शिक्षा जिसमें विशेष शिक्षा और विशेषतः बालकों, स्त्रियों, वयोवृद्धों, अन्य रूप से स्मर्थ व्यक्तियों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने संबंधी नियोजन और जीविका की बढ़ोत्तरी संबंधी परियोजनाएं का संवर्धन	• स्थानीय युवकों को सरकारी आईटीआई /पॉलिटेक्निक कॉलेजो में प्रायोजित करना। • तकनीकी कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन • ईडब्यूएस, बीपीएस, पीडब्यू डी इत्यादि छात्रों पर खास ध्यान देते हुए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति। • मेधावी छात्रों को पुरस्कार • रोजगार सृजन तथा आय संवर्धन के उद्देश्य से युवकों के लिए सूचीबद्ध एजेंसियों के जरिए दक्षता विकास कार्यक्रम • किसानों के लिए आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से खेती (बागवानी कृषि तथा पशु विज्ञान) प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम • शैक्षणिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय मदद
		कोविड–19 उपाय
III-	लैंगिक समता, स्त्री सशक्तिकरण का संवर्धन, स्त्रियों और अनाथों के लिए घरों और छात्रावासों का गठन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों, दैनिक देख रेख केन्द्रों का गठन और ऐसी अन्य सुविधाएं तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानता में कमी लाने के लिए उपाय करना ।	• महिलाओं तथा अनाथों के लिए घर तथा हॉस्टल बनाने के लिए वृद्धजन आश्रय स्थलों ,दिन देखभाल केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता। • महिला तथा बालकल्याण के लिए वित्तीय सहायता • महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम • एमएमयू के जरिए बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल
IV-	पर्यावरणीय संपोषण, पारिस्थिति की संतुलन, वनस्पपति जीव–जन्तु का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना तथा मृदा, वायु और जल की गुणवत्ता बनाए रखना जिसके अंतर्गत गंगा नदी के संरक्षण के लिए केन्द्रिय सरकार द्वारा स्थापित गंगा सफाई कोष में अंशदान भी है।	• जलवायु कार्यवाही सहित पर्यावरण के संरक्षण एवं अनुरक्षण से संबंधित गतिविधियां • ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम • मिट्टी के संरक्षण के उपाय इत्यादि
V.	राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण, जिसमें भवनों और ऐतिहासिक महत्ता के स्थल और कलाकृतियां भी	• राष्ट्रीय विरासत स्थलों के निर्माण तथा पुनरुद्धार के लिए वित्तीय मदद • सांस्कृतिक विरासत स्थलों का अंगीकरण

	सम्मिलित हैं, सार्वजनिक पुस्तकालयों का गठन करना, पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्पों का संवर्धन और विकास।	• सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए मदद • परंपरागत कलाओं और शिल्प को इत्यादि को बढ़ावा देना और विकास करना
VI	सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध प्रभावी विधवाएं और उनके आश्रितों के फायदे के लिए उपाय।	• सशस्त्र बलों के सैनिकों युद्ध विधवाओं तथा उनके आश्रितों इत्यादि के कल्याण के लिए गतिविधियां
VII-	ग्रामीण खेल–कूद राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल–कूद, पैरालम्पिक खेल–कूद और ओलम्पिक खेल–कूदों के संवर्धन के लिए प्रशिक्षण देना।	• खेलों इत्यादि के संवर्धन हेतु गतिविधियां • प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों के लिए मदद
VIII-	प्रधानमंत्री राहत कोष या प्रधानमंत्री नागरिकता सहायता एवं आपातकालीन स्थिति में राहत कोष (पीएम केयर्स निधि) तथा केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं के राहत और कल्याण हेतु किसी अन्य कोष में योगदान।	• प्रधानमंत्री राहत निधि में अंशदान • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं इत्यादि के कल्याण के लिए गतिविधियां
IX-	केन्द्रिय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या केन्द्रिय सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी एजेंसी या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा निधि पोषित इनक्यूीबेटरों हेतु आर्थिक योगदान, तथा सतत्शील विकास लक्ष्यों(एसडीजी) के संवर्धन पर लक्षित विज्ञान, प्रौदयोगिकी, इंजीनियरिंग तथा औषधि के क्षेत्र में अनुसंधान में लगे सार्वजनिक निधिपोषित विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं(आईआईटी), राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद(आईसीएआर), भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद(आईसीएमआर), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद(सीएसआईआर), परमाणु ऊर्जा मंत्रालय(डीएई), रक्षा अनुसंधान एवं विकास(डीआरडीओ), जैव प्रौद्योगिकी विभाग(डीबीटी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय(डीएसटी), इलैक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आर्थिक योगदान।	• प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों इत्यादि के लिए मदद
X.	ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत तथा समुदाय विकास गतिविधियों के लिए मदद ।	• ग्रामीण क्षेत्र में ढांचागत एवं सामुदायिक विकास गतिविधियों के लिए सहायता प्रतिभागी पहुंच इत्यादि के जरिए रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से खेती आधारित उद्यमिता, व्यवहारों का विकास।
XI	झुग्गी झोपड़ी विकास	• स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा शिक्षा एवं अन्य विकास इत्यादि के लिए गतिविधियां
XII	राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	• प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता • किसी प्राकृतिक आपदा अथवा किसी अन्य गतिविधि से प्रभावित परिवार का पुनर्वास • महामारी/ प्रकोप के दौरान सामुदायिक परिसंपत्तियां।

Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012021-224640
CG-DL-E-22012021-224640

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2021/माघ 2, 1942
No. 31]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2021/MAGHA 2, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 40(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 और धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में, जब तक इस अधिसूचना में स्पष्टतया अन्यत्र उपबंध न किए गए हों, इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 में नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रशासनिक उपशीर्ष" से कंपनी में कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यों से संबंधित, 'सामान्य प्रबंधन और प्रशासन' के लिए कंपनी द्वारा उपगत किया गया व्यय अभिप्रेत है, किंतु, इसमें किसी विशेष कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजना अथवा कार्यक्रम के डिज़ाइनिंग, कार्यान्वयन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन के लिए प्रत्यक्षत: उपगत किया गया व्यय सम्मिलित नहीं होगा;

(ग) "उपाबंध" से इन नियमों के साथ संलग्न अभिप्रेत उपाबंध है;

(घ) "कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)" से इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अधिनियम की धारा 135 में अधिकथित इसके कानूनी आक्षेप के अनुसरण में कंपनी द्वारा शुरू किए गए क्रियाकलाप अभिप्रेत है, अर्थात्:-

i) कंपनी के कारबार से संबंधित सामान्य अनुक्रम के अनुसरण में शुरू किए गए क्रियाकलाप:

परन्तु कारबार से संबंधित सामान्य अनुक्रम में नये टीकों, औषधों और चिकित्सा उपकरणों के बारे में अनुसंधान और विकासगत क्रियाकलाप में लिप्त कोई कंपनी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 के लिए कोविड-19 से संबंधित नये टीकों, औषधों और चिकित्सा उपकरणों के बारे में अनुसंधान और विकास कार्य कर सकते हैं-

(क) ऐसे अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को अधिनियम से संबंधित अनुसूची VII की मद (ix) में उल्लिखित संस्थानों अथवा संगठनों में से किसी के भी सहयोग से निष्पादित किया जाएगा;

(ख) ऐसे क्रियाकलाप का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित सीएसआर पर दी गई वार्षिक रिपोर्ट में अलग से प्रकट किया जाएगा;

ii) कंपनी द्वारा भारत के बाहर शुरू किए गए ऐसे किसी क्रियाकलाप, जिसमें किसी राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर संघ-राज्य क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय क्रीड़ा से संबंधित कार्मिकों का प्रशिक्षण सम्मिलित नहीं होगा;

iii) अधिनियम की धारा 182 के अधीन किसी राजनीतिक दल को प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: अंशदान

iv) मजदूर संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 2 के खंड (ट) में यथा-परिभाषित कंपनी के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले क्रियाकलाप;

v) कंपनी के उत्पादों अथवा सेवाओं के लिए विपणन के लाभों को प्राप्त करने हेतु प्रायोजन आधार पर कंपनियों द्वारा समर्थित क्रियाकलाप;

vi) भारत में प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन किसी अन्य कानूनी आक्षेपों को पूर्ण करने के लिए निष्पादित क्रियाकलाप;

(ङ) "सीएसआर समिति" से अधिनियम की धारा 135 में निर्दिष्ट बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति अभिप्रेत है;

(च) "सीएसआर नीति" से कंपनी की सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उसके बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देश और किए गए प्रयासों का विवरण अभिप्रेत है जिसमें संबंधित क्रियाकलापों के चयन, कार्यान्वयन, अनुवीक्षण और वार्षिक कार्य योजना का निर्धारण करने संबंधी दिशा-निर्देश प्रदान करने वाले सिद्धांत सम्मिलित होंगे;

(छ) "अंतर्राष्ट्रीय संगठन" से संयुक्त राष्ट्र संघ (विशेषाधिकार और संरक्षण) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के अधीन किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित संगठन अभिप्रेत है जिस पर उक्त अधिनियम की अनुसूची के उपबंध लागू होंगे;

(ज) "शुद्ध लाभ" से अधिनियम के लागू उपबंधों के अनुसरण में तैयार किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार किसी कंपनी का शुद्ध लाभ अभिप्रेत है, किंतु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं, अर्थात् -

(i) कंपनी की विदेश स्थित किसी शाखा अथवा शाखाओं, चाहे वह अलग कंपनी के रूप में अथवा अन्यथा कार्यरत है, से प्राप्त कोई लाभ, और

(ii) भारत में अन्य कंपनियों जो अधिनियम की धारा 135 के अधीन सम्मिलित हैं अथवा इसके उपबंधों का अनुपालन करती हैं, से प्राप्त कोई लाभांशः

परंतु यह और कि इन नियमों के अधीन आने वाली विदेशी कंपनी के मामले में शुद्ध लाभ से अधिनियम की धारा 198 के साथ पठित धारा 381 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसार तैयार लाभ-हानि खाते के अनुरूप ऐसी कंपनी का शुद्ध लाभ अभिप्रेत है।

(i) "चालू परियोजना" से शुरू किए गए वित्तीय वर्ष को छोड़कर तीन वर्ष की समय-सीमा के साथ अपने सीएसआर दायित्व को पूरा करने में कंपनी द्वारा शुरू की गई बहुवर्षीय परियोजना अभिप्रेत है जिसमें ऐसी परियोजना सम्मिलित नहीं होगी जिसे शुरू में बहुवर्षीय परियोजना के रूप में शुरू नहीं किया गया था तथापि जिसकी अवधि युक्तियुक्त औचित्य पर आधारित मंतव्य के साथ एक वर्ष बढ़ा दी गई है;

(ञ) "लोक प्राधिकारी" से सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) से संबंधित धारा 2 के उप-खंड (ज) में यथा-परिभाषित 'लोक प्राधिकारी' अभिप्रेत है।

(ट) "धारा" से अधिनियम की एक धारा अभिप्रेत है;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 3 में, उप-नियम (2), खंड (ख) "उप-धारा (2) से (5)" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "उप-धारा (2) से (6)" शब्दों, अक्षरों और अंकों को रखा जाएगा।

4. उक्त नियम में, नियम 4 के लिए निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"4. सीएसआर कार्यान्वयन.- (1) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि सीएसआर संबंधी क्रियाकलाप कंपनी द्वारा स्वयं अथवा निम्नलिखित के माध्यम से शुरू किए जाएं:-

(क) किसी कंपनी द्वारा एकल रूप में अथवा किसी अन्य कंपनी के साथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12क और 80छ के अधीन अधिनियम की धारा 8 अथवा रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के अधीन स्थापित कंपनी, अथवा

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8 अथवा रजिस्ट्रीकृत न्यास अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के अधीन स्थापित कंपनी; अथवा

(ग) संसद के अधिनियम अथवा राज्य के विधान के अधीन स्थापित कोई कंपनी; अथवा

(घ) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12क और 80छ के अधीन रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अथवा अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी जिसके पास ऐसे ही क्रियाकलाप शुरू करने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव हो।

(2) (क) सीएसआर से संबंधित किसी क्रियाकलाप को शुरू करने वाली और उप-नियम (1) के अधीन सम्मिलित प्रत्येक अस्तित्व स्वयं को **01 अप्रैल, 2021** से रजिस्ट्रार के पास इलैक्ट्रानिक आधार पर सीएसआर-1 प्ररूप को भरकर केंद्रीय सरकार के साथ स्वयं का रजिस्ट्रीकरण कराएगी:

परंतु कि **अप्रैल, 2021 की पहली तारीख से** से पहले अनुमोदित इस उप-नियम के उपबंध सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों को प्रभावित नहीं करेगें।

(ख) प्ररूप सीएसआर-1 को अस्तित्व द्वारा इलैक्ट्रानिक आधार पर हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत किया जाएगा और उसे व्यवसाय में लागत लेखाकार अथवा व्यवसाय में कंपनी सचिव अथवा व्यवसाय में लागत लेखाकार द्वारा अंकीय रूप में सत्यापित किया जाएगा।

(ग) पोर्टल पर प्ररूप सीएसआर-1 डाले जाने पर संबंधित प्रणाली द्वारा स्वतः ही एक यूनीक सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या सृजित हो जाएगी।

(3) कंपनी अपनी सीएसआर नीति के अनुसार कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों और सीएसआर के लिए अपने स्वयं के कार्मिकों के क्षमता निर्माण हेतु उसकी रूप-रेखा, अनुवीक्षण और मूल्यांकन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को नियोजित कर सकती है।

(4) कंपनी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा सीएसआर कार्यकलापों को इस प्रकार शुरू करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ सहयोग कर सकती है जिससे संबंधित कंपनियों की सीएसआर समितियां इस स्थिति में आ जाएं कि वे इन नियमों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर अलग से रिपोर्ट करें।

(5) कंपनी का बोर्ड अपने आपको इस आशय के साथ संतुष्ट करेगा कि इस प्रकार से संवितरित निधियों का उपयोग अभीष्ट निर्धारित प्रयोजनों और उसके तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से किया गया है तथा वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय के साथ इसे प्रमाणित करेगा।

(6) चालू परियोजना के मामले में, कंपनी का बोर्ड अनुमोदित समय-सीमा और वर्ष-वार आबंटन के संदर्भ में परियोजना के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करेगा और वह समग्र अनुज्ञेय समय अवधि के भीतर परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु उसमें संशोधन, यदि कोई है, करने में सक्षम होगा।"।

5. उक्त नियम में, नियम 5 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) सीएसआर समिति बोर्ड से सिफारिश करेगी कि उसकी सीएसआर नीति के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना बनाई जाए, जिसमें निम्नलिखित तथ्य सम्मिलित होंगे:-

(क) सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों की वह सूची जिसे अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा विषयों में शुरू करने के लिए अनुमोदित किया गया है;

(ख) नियम 4 के उप-नियम (1) में यथा-विनिर्दिष्ट ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति;

(ग) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के लिए निधियों के उपयोग और कार्यान्वयन अनुसूचियों से संबंधित दिशा-निर्देश;

(घ) परियोजना अथवा कार्यक्रमों के लिए अनुवीक्षण और रिपोर्टिंग क्रियाविधि और;

(ङ) कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजना के लिए, यदि कोई है, आवश्यकता और प्रभाव मूल्यांकन का विवरण:

परंतु कि बोर्ड इस आशय के साथ संगत औचित्य पर आधारित अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ऐसी योजना में परिवर्तन कर सकता है।"।

6. उक्त नियम में, नियम 6 का लोप किया जाएगा।

7. उक्त नियम में, नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"7. सीएसआर व्ययः (1) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशासनिक उप-शीर्ष वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कुल सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक न हो।

(2) सीएसआर परियोजना कार्यकलापों से उत्पन्न अधिशेष कंपनी के व्यापारिक लाभ का भाग नहीं होंगे और उन्हें उसी परियोजना में वापस डाल दिया जाएगा अथवा उन्हें अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित करके सीएसआर नीति और कंपनी की वार्षिक कार्य योजना के अनुसरण में खर्च किया जाएगा अथवा ऐसी अधिशेष राशि को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के छः माह की अवधि के भीतर अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट निधि में डाल दिया जाएगा।

(3) जहां कहीं कोई कंपनी धारा 135 की उप-धारा (5) के अधीन उपलब्ध कराई गई आवश्यकता से अधिक राशि खर्च करती है वहां ऐसी अधिक राशि को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन तत्काल आगामी तीन वित्तीय वर्षों तक धारा 135 की उप-धारा (5) के अधीन खर्च करने संबंधी आवश्यकता पर मुजरा किया जा सकता है कि -

(i) सेट ऑफ के लिए उपलब्ध अधिक राशि में इस नियम के उप-नियम (2) के अनुसरण में सीएसआर कार्यकलापों के फलस्वरूप उत्पन्न अधिशेष राशि सम्मिलित नहीं होगी;

(ii) कंपनी का बोर्ड इस आशय का संकल्प पारित करेगा।

(4) सीएसआर राशि को कंपनी द्वारा पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए व्यय किया जाएगा जिसे निम्नलिखित द्वारा ही धारित किया जाएगा-

(क) अधिनियम की धारा 8 अथवा नियम 4 के उप-नियम (2) के अधीन परोपकार्थ उद्देश्यों और सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या वाले रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के अधीन स्थापित कंपनी; अथवा

(ख) स्वयं सहायता समूह, संगठनों, कंपनियों के रूप में उक्त सीएसआर परियोजना के लाभार्थी; अथवा

(ग) लोक प्राधिकारी:

परंतु कि कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के प्रारंभ से पहले कंपनी द्वारा सृजित कोई पूंजीगत परिसंपत्ति ऐसे प्रारंभ से पहले एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर इस नियम की अनुपालना करेगे जिसे संगत औचित्य पर आधारित बोर्ड के अनुमोदन के साथ नब्बे दिनों की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकता है।"।

8. उक्त नियमों में, नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

8. "सीएसआर रिपोर्टिंग :- (1) किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित इन नियमों के अधीन कवर की गई किसी कंपनी के बोर्ड की रिपोर्ट में उपाबंध-I अथवा उपाबंध-II, यथा-लागू, में विनिर्दिष्ट विवरण वाली कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबधी वार्षिक रिपोर्ट सम्मिलित होगी।

(2) किसी विदेशी कंपनी के मामले में, अधिनियम की धारा 381 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन फाइल किए गए तुलन-पत्र में उपाबंध-I अथवा उपाबंध-II, यथा-लागू, में विनिर्दिष्ट विवरण वाली कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबधी वार्षिक रिपोर्ट समाविष्ट होगी।

(3)(क) इस अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसरण में दस करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक के औसत सीएसआर दायित्व वाली प्रत्येक कंपनी, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में, किसी स्वतंत्र अभिकरण के माध्यम से एक करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक के परिव्यय वाली, और जो प्रभाव अध्ययन करने से पूर्व एक वर्ष से कम समय में पूरी नहीं की गई हैं, अपनी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन कराएगी।

(ख) प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टें बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी और कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाएगी।

(ग) प्रभाव मूल्यांकन कराने वाली कोई कंपनी उस वित्तीय वर्ष के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर किए गए व्यय को बही में लिख सकती है जो उस वित्तीय वर्ष के लिए कुल कारपोरेट सामाजिक दायित्व के व्यय का पांच प्रतिशत अथवा पचास लाख रुपये, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।"।

9. उक्त नियमों में, नियम 9 के लिए, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

9. "सीएसआर कार्यकलापों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना:- कंपनी का निदेशक बोर्ड सीएसआर समिति की संरचना, और सीएसआर नीति तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को अनिवार्य रूप से आम जनता के अवलोकन के लिए अपनी वेबसाइट, यदि कोई हो, पर दर्शित करेगा।

10. **खर्च न की गई सीएसआर राशि का अंतरण.-** जब तक ऐसी निधि अधिसूचित की जाती है, इस अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अव्ययित कारपोरेट सामाजिक दायित्व राशि इस अधिनियम की अनुसूची-VII में सम्मिलित किसी निधि के लिए कंपनी द्वारा अंतरित की जाएगी।"

10. उक्त नियमों में,-

(i) उपाबंध को "उपाबंध-I" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और उपाबंध-I के शीर्षक में, "बोर्ड की रिपोर्ट" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "अप्रैल, 2020 के प्रथम दिन से पूर्व आरंभ वित्तीय वर्ष के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) इस प्रकार संख्यांकित उपाबंध-I के पश्चात्, निम्नलिखित उपाबंध अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"उपाबंध-II

अप्रैल, 2020 के प्रथम दिन को अथवा इसके पश्चात् आरंभ वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने के लिए सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट के लिए प्रपत्र

1. कंपनी की सीएसआर नीति के संबंध में संक्षिप्त रूप-रेखा।

2. सीएसआर समिति की संरचना :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद का स्वरूप	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संपन्न बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया

3. वह वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं।
4. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का ब्यौरा प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।
5. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में मुजरे के लिए उपलब्ध राशि का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष के लिए मुजरे हेतु

अपेक्षित राशि, यदि कोई है :

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों का सीएसआर परियोजना या कार्यक्रमों या गतिविधियों का अधिशेष

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए तय की जाने वाली राशि, यदि कोई हो

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर देनदारी (7क+7ख-7ग)

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल राशि	खर्च न की गई राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची-VII के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के विरुद्ध खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
क्र.सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची-VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वियन की रीति – सीधे (हां/नहीं)	कार्यान्वियन की रीति – कार्यान्वियन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला						

											नाम	सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या
1												
2												
3												
	कुल											

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची-VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की रीति – सीधे (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की रीति – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या
1									
2									
3									
	कुल								

(घ) प्रशासनिक ऊपरी व्यय में खर्च की गई राशि।

(ङ) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो।

(च) वित्तीय वर्ष (8ख+8ग+8घ+8ङ) के लिए खर्च की गई कुल राशि।

(छ) सेट ऑफ, यदि कोई हो, के लिए अधिक राशि

क्र.सं.	विशिष्टी	रकम (रुपए में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत	
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि	
(iii)	वित्तीय वर्ष [(ii)-(i)] के लिए खर्च की जाने वाली अधिक राशि	
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्ष, यदि कोई हो, के सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या क्रियाकलाप से उद्‌भूत अधिशेष	
(v)	सेट ऑफ [(iii)-(iv)] के लिए उपलब्ध राशि	

9. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा

क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची-VII के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट किसी विधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो।			पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि
				निधि का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तारीख	
1							
2							
3							
	कुल						

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की चालू परियोजनाओं के लिए व्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा :

क्र.सं.	परियोजना पहचान	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरंभ हुई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्ययित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्ययित संचयी राशि	परियोजना की स्थिति – पूर्ण की गई / चालू है
1								
2								
3								
	कुल							

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अधिगृहीत परिसंपत्ति से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें। (परिसंपत्ति-वार ब्यौरा)

(क) पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तारीख

(ख) पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि

(ग) उस कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का ब्यौरा जिसके नाम से ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति रजिस्ट्रीकृत है, उनका पता इत्यादि।

(घ) सृजित अथवा अधिगृहीत पूंजीगत परिसंपत्ति(यों) का ब्यौरा प्रदान करें (ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति के पूर्ण पते और अवस्थिति सहित)

11. कारण (णों) को विनिर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत खर्च करने में असफल हुई हो :

ह/- (मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा प्रबंध निदेशक या निदेशक)	ह/- (अध्यक्ष सीएसआर समिति)	ह/- [इस अधिनियम की धारा 380 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति] (जहां कहीं लागू हो)

11. उक्त नियमों में, उपाबंध-II के पश्चात्, निम्नलिखित ई-प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" **सीएसआर-1** (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 4(1) और (2) के अनुसरण में।	सत्यमेव जयते	**सीएसआर क्रियाकलाप निष्पादित करने के लिए कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण**

प्ररूप भाषा o अंग्रेजी o हिन्दी

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें।

1. अस्तित्व का नाम ______________________________

O कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन धारा 12क और धारा 80छ रजिस्ट्रीकरणों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन स्थापित।

O आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन धारा 12क और धारा 80छ रजिस्ट्रीकरणों के साथ रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास।

O आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन धारा 12क और धारा 80छ रजिस्ट्रीकरणों के साथ रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी

O कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित रजिस्ट्रीकृत न्यास या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी

O संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित कंपनी.

2. (क) *क्या अस्तित्व को किसी कंपनी अथवा कंपनियों के समूह द्वारा स्थापित किया गया है :

O हां O नहीं

(ख) *(i) यदि हां, तो ऐसी कंपनी (यों) का ब्यौरा प्रदान करें :

कंपनी का सीआईएन कंपनी का नाम पूर्व पूरित जोड़ें

(ii) यदि नहीं, क्या अस्तित्व का समान क्रियाकलाप निष्पादित करने में तीन वर्षों का स्थापित पिछला रिकार्ड है

O हां O नहीं

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी के मामलों में :

3. (क) विद्यमान अस्तित्व के प्रकार ____________________

*कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) ____________________[पूर्व-पूरित]

अन्य कंपनियों के मामले में

(ख) अस्तित्व का नाम ____________________

(ग)* अस्तित्व के निगमन की तारीख ____________________(दिन/माह/वर्ष)

(घ)* अस्तित्व का रजिस्ट्रीकृत पता ____________________

पंक्ति I ____________________

पंक्ति II ____________________

शहर ____________________

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ____________________

जिला ____________________पिन कोड____________________

(ङ)* अस्तित्व का ई-मेल आईडी ____________________[ओटीपी भेजें]

(च)* ई-मेल आईडी के लिए ओटीपी प्रविष्ट करें____________________[ओटीपी की पुष्टि करें]

(छ).*कंपनी का पैन : ____________________

4. अस्तित्व के निदेशकों अथवा बोर्ड के न्यासियों या अध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सचिव अथवा अधिकृत प्रतिनिधियों का ब्यौरा :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	निदेशक पहचान संख्या/स्थायी खाता संख्या	ई-मेल आईडी

संलग्नक :

[संलग्नकों की सूची]

1.* रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें

2.* कंपनी के पैन की प्रति संलग्नक करें

[संलग्नक हटाएं]

घोषणा

मुझे इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने के लिए "अस्तित्व द्वारा *संकल्प संख्या*________" ______तारीख ____________________.... के माध्यम से अस्तित्व द्वारा यह घोषित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि उक्त प्ररूप में दिया गया विवरण सत्य है और अस्तित्व द्वारा रखे गए दस्तावेजों के अनुरूप भी है।

धारा 8 कंपनी के मामले में एक निदेशक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए
रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास के मामले में एक न्यासी अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए
रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के मामले में अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सचिव द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए
संसद अथवा राज्य विधायिका के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित कंपनी के मामले में प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए

***निम्नलिखित द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित किया जाना है** डीएससी बॉक्स

*पदनाम

*निदेशक का डीआईएन; अथवा
न्यासी या सीईओ या अध्यक्ष या मुख्य पदाधिकारी या
अस्तित्व के प्राधिकृत प्रतिनिधि का डीआईएन या पैन ______________________

वृत्तिक व्यवहार द्वारा प्रमाण-पत्र

मैं घोषित करता हूँ कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन के लिए सम्यक् रूप से लगाया हुआ है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंध और इस प्ररूप की विषय-वस्तु एवं इससे संबंधित मामलों के संबंध में अधिनियम के अधीन नियमों को पढ़ लिया है और मैंने उपर्युक्त सूचना (संलग्नकों सहित) कम्पनी आवेदक के पास उपलब्ध मूल अभिलेख से सत्यापित की है जो कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु है और उन्हें सत्य, सही एवं पूर्ण पाया है और इस प्ररूप से संबंधित कोई भी सूचना छुपाई नहीं गई है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि:

1. उपर्युक्त अभिलेख उचित रूप से तैयार किए गए हैं, अस्तित्व के संबंधित अधिकारियों अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए हैं और ठीक पाए गए हैं;

2. सभी आवश्यक संलग्नक इस प्ररूप के साथ पूर्ण और सुपाठ्य रूप में संलग्न किए गए हैं।

3. यह समझा गया है कि मैं गलत सत्यापन, यदि किसी स्तर पर पाया जाता है, के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अधीन कार्रवाई किए जाने के लिए उत्तरदायी हूंगा।

O चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसाय में) या O कम्पनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसाय में)
O कॉस्ट अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसाय में)
*एसोसिएट अथवा अध्येता 0 एसोसिएट 0 अध्येता [डीएससी बॉक्स]
*सदस्यता संख्या ______________________....
*व्यवसाय संख्या का सबूत-पत्र ______________________....

टिप्पण : धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमश: मिथ्या विवरण / प्रमाण-पत्र के लिए दंड और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध है।

उपांतरित करें	प्ररूप जाँचें	पूर्व-जाँच	प्रस्तुत करें

इस ई प्ररूप को इलेक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुरक्षित फाइल पर और प्राधिकृत व्यक्ति और व्यावसायिक द्वारा दी गई तथातथ्यता के आधार पर लिया गया है।"।

[ई-फा.सं. सीएसआर 05/03/2020-सीएसआर-एमसीए]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या 129, तारीख 27 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए और इन्हें तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 644(अ), तारीख 12 सितंबर, 2014, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 43(अ), तारीख 19 जनवरी, 2015, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 540(अ), तारीख 23 मई, 2016 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 895(अ), तारीख 19 सितंबर, 2018 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 526(अ) तारीख 24 अगस्त, 2020 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2021

G.S.R. 40(E).—In exercise of the powers conferred by section 135 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the **Companies (Corporate Social Responsibility Policy)** Amendment Rules, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette unless explicitly provided elsewhere in this notification.

2. In the **Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-**

"2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) "Administrative overheads" means the expenses incurred by the company for 'general management and administration' of Corporate Social Responsibility functions in the company but shall not include the expenses directly incurred for the designing, implementation, monitoring, and evaluation of a particular Corporate Social Responsibility project or programme;

(c) "Annexure" means the Annexure appended to these rules;

(d) "Corporate Social Responsibility (CSR)" means the activities undertaken by a Company in pursuance of its statutory obligation laid down in section 135 of the Act in accordance with the provisions contained in these rules, but shall not include the following, namely:-

(i) activities undertaken in pursuance of normal course of business of the company:

Provided that any company engaged in research and development activity of new vaccine, drugs and medical devices in their normal course of business may undertake research and development activity of new vaccine, drugs and medical devices related to COVID-19 for financial years 2020-21, 2021-22, 2022-23 subject to the conditions that-

(a) such research and development activities shall be carried out in collaboration with any of the institutes or organisations mentioned in item (ix) of Schedule VII to the Act;

(b) details of such activity shall be disclosed separately in the Annual report on CSR included in the Board's Report;

(ii) any activity undertaken by the company outside India except for training of Indian sports personnel representing any State or Union territory at national level or India at international level;

(iii) contribution of any amount directly or indirectly to any political party under section 182 of the Act;

(iv) activities benefitting employees of the company as defined in clause (k) of section 2 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019);

(v) activities supported by the companies on sponsorship basis for deriving marketing benefits for its products or services;

(vi) activities carried out for fulfilment of any other statutory obligations under any law in force in India;

(e) "CSR Committee" means the Corporate Social Responsibility Committee of the Board referred to in section 135 of the Act;

(f) "CSR Policy" means a statement containing the approach and direction given by the board of a company, taking into account the recommendations of its CSR Committee, and includes guiding principles for selection, implementation and monitoring of activities as well as formulation of the annual action plan;

(g) "International Organisation" means an organisation notified by the Central Government as an international organisation under section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), to which the provisions of the Schedule to the said Act apply;

(h) "Net profit" means the net profit of a company as per its financial statement prepared in accordance with the applicable provisions of the Act, but shall not include the following, namely: -

(i) any profit arising from any overseas branch or branches of the company, whether operated as a separate company or otherwise; and

(ii) any dividend received from other companies in India, which are covered under and complying with the provisions of section 135 of the Act:

Provided that in case of a foreign company covered under these rules, net profit means the net profit of such company as per profit and loss account prepared in terms of clause (a) of sub-section (1) of section 381, read with section 198 of the Act;

(i) "Ongoing Project" means a multi-year project undertaken by a Company in fulfilment of its CSR obligation having timelines not exceeding three years excluding the financial year in which it was commenced, and shall include such project that was initially not approved as a multi-year project but whose duration has been extended beyond one year by the board based on reasonable justification;

(j) "Public Authority" means 'Public Authority' as defined in clause (h) of section 2 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005);

(k) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act. ".

3. In the said rules, in rule 3, in sub-rule (2), in clause (b), for the words, brackets and figure "sub-section (2) to (5)", the words, brackets and figure "sub-section (2) to (6)" shall be substituted.

4. In the said rules, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:-

"**4. CSR Implementation**. – (1) The Board shall ensure that the CSR activities are undertaken by the company itself or through -

(a) a company established under section 8 of the Act, or a registered public trust or a registered society, registered under section 12A and 80 G of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), established by the company, either singly or along with any other company, or

(b) a company established under section 8 of the Act or a registered trust or a registered society, established by the Central Government or State Government; or

(c) any entity established under an Act of Parliament or a State legislature; or

(d) a company established under section 8 of the Act, or a registered public trust or a registered society, registered under section 12A and 80G of the Income Tax Act, 1961, and having an established track record of at least three years in undertaking similar activities.

(2) (a) Every entity, covered under sub-rule (1), who intends to undertake any CSR activity, shall register itself with the Central Government by filing the form CSR-1 electronically with the Registrar, with effect from the **01st day of April 2021:**

Provided that the provisions of this sub-rule shall not affect the CSR projects or programmes approved prior to the **01st day of April 2021.**

(b) Form CSR-1 shall be signed and submitted electronically by the entity and shall be verified digitally by a Chartered Accountant in practice or a Company Secretary in practice or a Cost Accountant in practice.

(c) On the submission of the Form CSR-1 on the portal, a unique CSR Registration Number shall be generated by the system automatically.

(3) A company may engage international organisations for designing, monitoring and evaluation of the CSR projects or programmes as per its CSR policy as well as for capacity building of their own personnel for CSR.

(4) A company may also collaborate with other companies for undertaking projects or programmes or CSR activities in such a manner that the CSR committees of respective companies are in a position to report separately on such projects or programmes in accordance with these rules.

(5) The Board of a company shall satisfy itself that the funds so disbursed have been utilised for the purposes and in the manner as approved by it and the Chief Financial Officer or the person responsible for financial management shall certify to the effect.

(6) In case of ongoing project, the Board of a Company shall monitor the implementation of the project with reference to the approved timelines and year-wise allocation and shall be competent to make modifications, if any, for smooth implementation of the project within the overall permissible time period. ".

5. In the said rules, in rule 5, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The CSR Committee shall formulate and recommend to the Board, an annual action plan in pursuance of its CSR policy, which shall include the following, namely:-

(a) the list of CSR projects or programmes that are approved to be undertaken in areas or subjects specified in Schedule VII of the Act;

(b) the manner of execution of such projects or programmes as specified in sub-rule (1) of rule 4;

(c) the modalities of utilisation of funds and implementation schedules for the projects or programmes;

(d) monitoring and reporting mechanism for the projects or programmes; and

(e) details of need and impact assessment, if any, for the projects undertaken by the company:

Provided that Board may alter such plan at any time during the financial year, as per the recommendation of its CSR Committee, based on the reasonable justification to that effect. ".

6. In the said rules, rule 6 shall be omitted.

7. In the said rules, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:-

“7.CSR Expenditure. - (1) The board shall ensure that the administrative overheads shall not exceed five percent of total CSR expenditure of the company for the financial year.

(2) Any surplus arising out of the CSR activities shall not form part of the business profit of a company and shall be ploughed back into the same project or shall be transferred to the Unspent CSR Account and spent in pursuance of CSR policy and annual action plan of the company or transfer such surplus amount to a Fund specified in Schedule VII, within a period of six months of the expiry of the financial year.

(3) Where a company spends an amount in excess of requirement provided under sub-section (5) of section 135 , such excess amount may be set off against the requirement to spend under sub-section (5) of section 135 up to immediate succeeding three financial years subject to the conditions that –

(i) the excess amount available for set off shall not include the surplus arising out of the CSR activities, if any, in pursuance of sub-rule (2) of this rule.

(ii) the Board of the company shall pass a resolution to that effect.

(4) The CSR amount may be spent by a company for creation or acquisition of a capital asset, which shall be held by -

(a) a company established under section 8 of the Act, or a Registered Public Trust or Registered Society, having charitable objects and CSR Registration Number under sub-rule (2) of rule 4; or

(b) beneficiaries of the said CSR project, in the form of self-help groups, collectives, entities; or

(c) a public authority:

Provided that any capital asset created by a company prior to the commencement of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021, shall within a period of one hundred and eighty days from such commencement comply with the requirement of this rule, which may be extended by a further period of not more than ninety days with the approval of the Board based on reasonable justification. ”.

8. In the said rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:-

“8. CSR Reporting .- (1) The Board's Report of a company covered under these rules pertaining to any financial year shall include an annual report on CSR containing particulars specified in Annexure I or Annexure II, as applicable.

(2) In case of a foreign company, the balance sheet filed under clause (b) of sub-section (1) of section 381 of the Act, shall contain an annual report on CSR containing particulars specified in Annexure I or Annexure II, as applicable.

(3) (a) Every company having average CSR obligation of ten crore rupees or more in pursuance of sub-section (5) of section 135 of the Act, in the three immediately preceding financial years, shall undertake impact assessment, through an independent agency, of their CSR projects having outlays of one crore rupees or more, and which have been completed not less than one year before undertaking the impact study.

(b) The impact assessment reports shall be placed before the Board and shall be annexed to the annual report on CSR.

(c) A Company undertaking impact assessment may book the expenditure towards Corporate Social Responsibility for that financial year, which shall not exceed five percent of the total CSR expenditure for that financial year or fifty lakh rupees, whichever is less. ”.

9. In the said rules, for rule 9, the following rules shall be substituted, namely:-

“9. Display of CSR activities on its website. - The Board of Directors of the Company shall mandatorily disclose the composition of the CSR Committee, and CSR Policy and Projects approved by the Board on their website, if any, for public access.

10. Transfer of unspent CSR amount. - Until a fund is specified in Schedule VII for the purposes of sub-section (5) and(6) of section 135 of the Act, the unspent CSR amount, if any, shall be transferred by the company to any fund included in schedule VII of the Act.”.

10. In the said rules,-

(i) The Annexure shall be numbered as "Annexure –I" and in the heading of Annexure I as so numbered, after the words "BOARD'S REPORT", the words and figures "FOR FINANCIAL YEAR COMMENCED PRIOR TO 1ST DAY OF APRIL, 2020" shall be inserted;

(ii) after Annexure –I as so numbered, the following Annexure shall be inserted, namely:-

"ANNEXURE -II

FORMAT FOR THE ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES
TO BE INCLUDED IN THE BOARD'S REPORT FOR FINANCIAL
YEAR COMMENCING ON OR AFTER 1ST DAY OF APRIL, 2020

1. Brief outline on CSR Policy of the Company.

2. Composition of CSR Committee:

Sl. No.	Name of Director	Designation / Nature of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year

3. Provide the web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company.

4. Provide the details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report).

5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any

Sl. No.	Financial Year	Amount available for set-off from preceding financial years (in Rs)	Amount required to be set-off for the financial year, if any (in Rs)
1			
2			
3			
	TOTAL		

6. Average net profit of the company as per section 135(5).

7. (a) Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)

(b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years.

(c) Amount required to be set off for the financial year,

if any

(d) Total CSR obligation for the financial year (7a+7b-7c).

8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount Spent for the Financial Year. (in Rs.)	**Amount Unspent (in Rs.)**				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6).		**Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5).**		
	Amount.	**Date of transfer.**	**Name of the Fund**	**Amount.**	**Date of transfer.**

(b) Details of CSR amount spent against **ongoing projects** for the financial year:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Sl. No.	Name of the Project.	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/No).	Location of the project.		Project duration.	Amount allocated for the project (in Rs.).	Amount spent in the current financial Year (in Rs.).	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.).	Mode of Implementation - Direct (Yes/No).	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
				State.	District.						Name	CSR Registration number.
1.												
2.												
3.												
	TOTAL											

(c) Details of CSR amount spent against **other than ongoing projects** for the financial year:

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**		**(6)**	**(7)**	**(8)**	
Sl. No.	**Name of the Project**	**Item from the list of activities in schedule VII to the Act.**	**Local area (Yes/ No).**	**Location of the project.**		**Amount spent for the project (in Rs.).**	**Mode of implementation - Direct (Yes/No).**	**Mode of implementation - Through implementing agency.**	
				State.	**District.**			**Name.**	**CSR registration number.**
1.									
2.									
3.									
	TOTAL								

(d) Amount spent in Administrative Overheads

(e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable

(f) Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e)

(g) Excess amount for set off, if any

Sl. No.	Particular	Amount (in Rs.)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	

9. (a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:

Sl. No.	Preceding Financial Year.	Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (in Rs.)	Amount spent in the reporting Financial Year (in Rs.).	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.			Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (in Rs.)
				Name of the Fund	Amount (in Rs).	Date of transfer.	
1.							
2.							
3.							
	TOTAL						

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for **ongoing projects** of the preceding financial year(s):

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sl. No.	Project ID.	Name of the Project.	Financial Year in which the project was commenced.	Project duration.	Total amount allocated for the project (in Rs.).	Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in Rs).	Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year. (in Rs.)	Status of the project - Completed /Ongoing.
1.								
2.								
3.								
	TOTAL							

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year

(asset-wise details).

(a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s).

(b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset.

(c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc.

(d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset).

11. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5).

Sd/- (Chief Executive Officer or Managing Director or Director).	Sd/- (Chairman CSR Committee).	Sd/- [Person specified under clause (d) of sub-section (1) of section 380 of the Act] (Wherever applicable).

”

11. In the said rules, after annexure-II, following e-form shall be inserted, namely:

“

CSR-1

(Pursuant to section 135 of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) and (2) of the Companies (CSR Policy) Rules, 2014)

सत्यमेव जयते

Registration of Entities for undertaking CSR Activities

Form language o English o Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. *Nature of the Entity:

- ◯ Company established under section 8 of the Companies Act, 2013 with section 12A and section 80G registrations under the Income Tax Act, 1961.
- ◯ Registered Public Trust with section 12A and section 80G registrations under the Income Tax Act, 1961.
- ◯ Registered Society with section 12A and section 80G registrations under the Income Tax Act, 1961.
- ◯ Company established under section 8 of the Companies Act, 2013 or Registered Trust or Registered Society established by the Central Government or State Government.
- ◯ Entity established under an Act of Parliament or State Legislature.

2. (a)Whether the Entity is established by any company or group of companies:

◯ Yes ◯ No

(b)(i) If yes, then provide the details of such company (s):

CIN of Company **Pre-fill** **Add**

Name of Company

(ii) If no, whether the entity has an established track record of three years in undertaking similar activities : ◯ Yes ◯ No

3. (a)* Type of existing entity:

*CIN/ Registration Number: **Pre-fill**

(In case of a section 8 company, enter CIN. Else, enter registration number)

(b) *Name of the entity

(c) *Date of incorporation of the entity (DD/MM/YYYY)

(d) *Address of the entity:

Line I

Line II

City

State/ Union territory

District Pin Code

(e)* E-Mail ID of the entity **Send OTP**

(f)*Enter OTP for email ID **Verify OTP**

(g) *PAN of the entity

4.*Details of Directors/ Board of Trustees/ Chairman/ CEO/ Secretary/ Authorised Representatives of the entity:

Sl. No.	Name	Designation	DIN/PAN	Email ID

Attachments:

1.* Copy of Certificate of Registration; Attach

2.*Copy of PAN of entity ; Attach

List of Attachments

Remove Attachment

***Declaration**

I am authorized by the Entity vide *resolution number [ ] *dated [ ] to sign this form and declare that the particulars given in the form herein above are true and also are in agreement with the documents maintained by the Entity.

To be digitally signed by one director in case of Section 8 company

To be digitally signed by one of the Trustee/ CEO in case of Registered Public Trust

To be digitally signed by Chairperson/ CEO/ Secretary in case of Registered Society

To be digitally signed by Authorised Representative in case of Entity established under an Act of Parliament or State Legislature

***To be digitally signed by** DSC Box

*Designation [ ]

*DIN of the director; or DIN or PAN of the Trustee or CEO or Chairperson or Chief functionary or authorised representative of the Entity; [ ]

***Certificate by Practicing Professional**

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/certified records maintained by the Company/ applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that:

1. The said records have been properly prepared, signed by the required officers/ authorised representatives of the entity and were found to be in order;

2. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form;

3. It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of the Companies Act, 2013 for wrong certification, if any found at any stage.

***To be digitally signed by** DSC Box

○ Chartered accountant (in whole-time practice) ○ Company secretary (in whole-time practice)

○ Cost accountant (in whole-time practice)

*Whether associate or fellow ○ Associate ○ Fellow

*Membership number

Certificate of practice number

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement/ certificate and punishment for false evidence respectively.

Modify	Check form	Pre Scrutiny	Submit

This e-form has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode on the basis of statement of correctness given by the authorised person and professional."

[E-F. No. CSR-05/3/2020-CSR-MCA]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 129(E), dated the 27th February, 2014 and were subsequently amended by notification number G.S.R. 644(E), dated the 12th September, 2014, notification number G.S.R. 43(E), dated the 19th January, 2015, notification number G.S.R. 540 (E), dated the 23rd May, 2016, notification number G.S.R. 895(E), dated the 19th September, 2018 and notification number G.S.R. 526(E), dated the 24th August, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM

Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2022

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092022-238956
CG-DL-E-21092022-238956

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 634] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2022/भाद्र 29, 1944
No. 634] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022/BHADRA 29, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर,2022

सा.का.नि. 715(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 और धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 में,-

(i) उपनियम (1) में, परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“परंतु यह और कि कोई कंपनी, जिसकी धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार, अपने अव्ययित कारपोरेट सामाजिक दायित्व खाते में, किसी प्रकार की राशि है तो वह सीएसआर समिति का गठन करेगी और उक्त धारा की उपधारा (2) से (6) में निहित उपबंधों का अनुपालन करेगी।”;

6273 GI/2022

(ii) उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 4 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात:-

'(1) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा की सीएसआर कार्यकलाप स्वयं कंपनी द्वारा अथवा निम्नलिखित द्वारा किए जाएंगे,-

(क) अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कोई कंपनी, या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ के अधीन अनुमोदित तथा धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत या धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) के अधीन छूट प्राप्त कोई रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास या कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जो एकल रूप से या किसी अन्य कंपनी के साथ कंपनी के साथ स्थापित हो; अथवा

(ख) अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कोई कंपनी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई रजिस्ट्रीकृत न्यास या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी; अथवा

(ग) संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित कोई इकाई; अथवा

(घ) अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कोई कंपनी, या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ के अधीन अनुमोदित तथा धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत या धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) के अधीन छूट प्राप्त कोई रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास या कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी तथा जिसका समान कार्यकलाप करने में कम से कम तीन वर्षों का ट्रेक रिकार्ड स्थापित हो।

स्पष्टीकरण.- खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, "इकाई" पद से अधिनियम की अनुसूची-VII में शामिल कार्यकलाप करने के लिए संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय होगा, अभिप्रेत है।'।

4. उक्त नियमों में, नियम 8 में, उपनियम (3) में, खण्ड (ग) में,-

(i) "पाँच प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "दो प्रतिशत" शब्दों को रखा जाएगा।

(ii) "जो भी कम हो" शब्दों के स्थान पर "जो भी अधिक हो" शब्दों को रखा जाएगा।

5. उक्त नियमों में, उपाबंध-II के स्थान पर, निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात:-

"उपाबंध-II

अप्रैल, 2020 के प्रथम दिन को अथवा इसके पश्चात् आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट के लिए प्रपत्र

1. सीएसआर नीति के संबंध में संक्षिप्त रूप-रेखा:

2. सीएसआर समिति की संरचना :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद का स्वरूप	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संपन्न बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया

3. वह वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाएं बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं।

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में यदि लागू हो, निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का अधिशासी सारांश वेब लिंक के साथ प्रदान करें।

5. (क) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ

(ख) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या कार्यकलापों से उत्पन्न अधिशेष

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ की गई अपेक्षित राशि, यदि कोई हो

(ङ) वित्तीय वर्ष [(ख)+(ग)-(घ)] के लिए कुल सीएसआर दायित्व।

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अतिरिक्त दोनों) पर व्यय की गई राशि।

(ख) प्रशासनिक उपरिव्यय पर व्यय की गई राशि।

(ग) प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो।

(घ) वित्तीय वर्ष [(क) + (ख) + (ग)]के लिए व्यय की गई कुल राशि ।

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल राशि। (रुपए में)	अव्ययित राशि (रुपए में)				
	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि।		धारा 135 की उपधारा (5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची-VII के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख

(च) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्र.सं.	ब्यौरा	राशि (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या कार्यकलापों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	
(v)	उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	

7. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कारपोरेट सामाजिक दायित्व राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उप-धारा (6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपए में)	धारा 135 की उप-धारा (6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपए में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपए में)	धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अधीन विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो,		उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपए में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (रुपए में)	अंतरण की तारीख		
1	वित्त वर्ष-1							
2	वित्त वर्ष-2							
3	वित्त वर्ष-3							

8. क्या किसी पूंजीगत परिसंपत्ति को वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कारपोरेट सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से सृजित या अधिग्रहित किया गया है:

○ हाँ ○ नहीं

यदि हां, तो सृजित / अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कारपोरेट सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से इस तरह बनाई गई या अधिग्रहित की गई ऐसी परिसंपत्ति (ओं) से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्र.सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) के लघु विवरण [संपत्ति के पूरे पते और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) का पिनकोड	सृजन की तारीख	व्यय की गई सीएसआर राशि	रजिस्ट्रीकृत स्वामी की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	रजिस्ट्रीकृत पता

(सभी क्षेत्रों को उसी प्रकार दर्शाया जाना चाहिए जैसाकि राजस्व रिकार्ड में दर्शाया गया है, फ्लैट सं., मकान सं., नगर निगम कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिये तथा अचल संपत्तियों के क्षेत्र के साथ-साथ उसकी सीमाओं को भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।)

9. यदि कंपनी धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है, तो कारण (णों) को निर्दिष्ट करें।

ह./- (मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंधन निदेशक या निदेशक)।	ह./- (अध्यक्ष, सीएसआर समिति)।	ह./- [धारा 380 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति] (जहां भी लागू हो)।"।

6. **उक्त नियमों में, ई-प्ररूप सीएसआर-1 में,** क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"1. * इकाई का स्वरूप

- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी, धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक)के अधीन छूट प्राप्त और जो धारा 80छ के अधीन अनुमोदित कंपनी।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 8 के अधीन स्थापित, धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित कंपनी ।
- आयकर अधिनियम, 1961 की रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास, धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) के अधीन छूट प्राप्त और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित।
- आयकर अधिनियम, 1961 की रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास, धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित।
- आयकर अधिनियम, 1961 की रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, धारा 10 के खंड (23ग) उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) के अधीन छूट प्राप्त और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित।
- आयकर अधिनियम, 1961 की रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित।
- धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित रजिस्ट्रीकृत न्यास या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी।
- संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित इकाई।"।

[ई-फा. सं. 05/03/2022-सीएसआर]

इन्द्रदीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में तारीख 27 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 129(अ) के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तारीख 12 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 644(अ), तारीख 19 जनवरी, 2015 की सा.का.नि. 43(अ), तारीख 23 मई, 2016 की सा.का.नि 540(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2015 की सा.का.नि 895 (अ), तारीख 24 अगस्त 2020 की सा.का.नि 526(अ) और तारीख 22 जनवरी, 2021 की सा.का.नि 40(अ) के द्वारा पश्चातवर्ती में संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2022

G.S.R. 715(E).— In exercise of the powers conferred under section 135 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the **Companies (Corporate Social Responsibility Policy)** Amendment Rules, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, -

   (i) in sub-rule (1), after the proviso, the **following proviso shall be inserted, namely: -**

   "Provided further that a company having any amount in its Unspent Corporate Social Responsibility Account as per sub-section (6) of section 135 shall constitute a CSR Committee and comply with the provisions contained in sub-sections (2) to (6) of the said section.";

   (ii) **sub-rule (2) shall be omitted.**

3. In the said rules**, in rule 4, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -**

   '(1) The Board shall ensure that the CSR activities are undertaken by the company itself or through, –

   (a) a company established under section 8 of the Act, or a registered public trust or a registered society, exempted under sub-clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 or registered under section 12A and approved under 80 G of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), established by the company, either singly or along with any other company; or

   (b) a company established under section 8 of the Act or a registered trust or a registered society, established by the Central Government or State Government; or

   (c) any entity established under an Act of Parliament or a State legislature; or

   (d) a company established under section 8 of the Act, or a registered public trust or a registered society, exempted under sub-clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 or registered under section 12A and approved under 80 G of the Income Tax Act, 1961, and having an established track record of at least three years in undertaking similar activities.

   Explanation.- For the purpose of clause (c), the term "entity" shall mean a statutory body constituted under an Act of Parliament or State legislature to undertake activities covered in Schedule VII of the Act.'.

4. **In the said rules, in rule 8, in sub-rule (3),** in clause (c),-

   (i) for the words "five percent", the words "two per cent." shall be substituted;

   (ii) for the words "whichever is less", the words "whichever is higher" shall be substituted.

5. **In the said rules, for Annexure-II, the following Annexure shall be substituted, namely:-**

"ANNEXURE -II

FORMAT FOR THE ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES TO BE INCLUDED IN THE BOARD'S REPORT FOR FINANCIAL YEAR COMMENCING ON OR AFTER THE 1ST DAY OF APRIL, 2020

1. Brief outline on CSR Policy of the Company:

2. Composition of CSR Committee:

Sl. No.	**Name of Director**	**Designation / Nature of Directorship**	**Number of meetings of CSR Committee held during the year**	**Number of meetings of CSR Committee attended during the year**

3. Provide the web-link(s) where Composition of CSR Committee, CSR Policy and CSR Projects approved by the board are disclosed on the website of the company.

4. Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8, if applicable.

5. (a) Average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135.

(b) Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135.

(c) Surplus arising out of the CSR Projects or programmes or activities of the previous financial years.

(d) Amount required to be set-off for the financial year, if any.

(e) Total CSR obligation for the financial year [(b)+(c)-(d)].

6. (a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project).

(b) Amount spent in Administrative Overheads.
(c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable.
(d) Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+(c)].

(e) CSR amount spent or unspent for the Financial Year:

Total Amount Spent for the Financial Year. (in Rs.)	**Amount Unspent (in Rs.)**				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per sub-section (6) of section 135.		**Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135.**		
	Amount.	**Date of transfer.**	**Name of the Fund**	**Amount.**	**Date of transfer.**

(f) Excess amount for set-off, if any:

Sl. No.	**Particular**	**Amount (in Rs.)**
(1)	(2)	(3)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135	
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	
(iii)	Excess amount spent for the Financial Year [(ii)-(i)]	
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous Financial Years, if any	
(v)	Amount available for set off in succeeding Financial Years [(iii)-(iv)]	

7. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:

1	2	3	4	5	6		7	8
Sl. No.	**Preceding Financial Year(s)**	**Amount transferred to Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)**	**Balance Amount in Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)**	**Amount Spent in the Financial Year (in Rs)**	**Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135, if any**		**Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in Rs)**	**Deficiency, if any**
					Amount (in Rs)	Date of Transfer		
1	FY-1							
2	FY-2							
3	FY-3							

8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:

○ Yes ○ No

If Yes, enter the number of Capital assets created/ acquired

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:

Sl. No.	**Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]**	**Pincode of the property or asset(s)**	**Date of creation**	**Amount of CSR amount spent**	**Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					CSR Registration Number, if applicable	**Name**	**Registered address**

(All the fields should be captured as appearing in the revenue record, flat no, house no, Municipal Office/Municipal Corporation/ Gram panchayat are to be specified and also the area of the immovable property as well as boundaries)

9. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per sub-section (5) of section 135.

Sd/- (Chief Executive Officer or Managing Director or Director).	Sd/- (Chairman CSR Committee).	Sd/- [Person specified under clause (d) of sub-section (1) of section 380] (Wherever applicable).".

6. In the **said rules, in the e-form CSR–1,** for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number shall be substituted, namely**:-**

"1. *Nature of the entity

- o Company established under section 8, exempted under sub-clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 and approved under section 80G of the Income Tax Act, 1961.
- o Company established under section 8, registered under section 12A and approved under section 80G of the Income Tax Act, 1961.
- o Registered public trust, exempted under sub-clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 and approved under section 80G of the Income Tax Act, 1961.
- o Registered public trust, registered under section 12A and approved under section 80G of the Income Tax Act, 1961.
- o Registered society, exempted under sub-clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 and approved under section 80G of the Income Tax Act, 1961.
- o Registered society, registered under section 12A and approved under section 80G of the Income Tax Act, 1961.
- o Company established under section 8 or registered Trust or registered Society established by the Central Government or State Government.
- o Entity established under an Act of Parliament or State Legislature.".

[E-F. No. 05/03/2022-CSR]

INDERDEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.

Note: The **principal rules** were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 129(E), dated the 27th February, 2014 and subsequently amended by notification numbers G.S.R. 644(E), dated the 12th September, 2014, G.S.R. 43(E), dated the 19th January, 2015, G.S.R. 540(E), dated the 23rd May, 2016, G.S.R. 895(E), dated the 19th September, 2018, G.S.R. 526(E), dated the 24th August, 2020 and G.S.R. 40(E), dated the 22nd January, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.09.21 16:56:04 +05'30'

CSR Mission

SJVN is pledged to fulfill its social and environment commitments; because we know that our growth is meaningful when we share it with society.

Regd. Off.: SJVN Limited, Shakti Sadan, Corporate Office Complex, Shanan, Shimla- 171006, Himachal Pradesh (India)
Phone : 0177-2660283, Visit us at : www.sjvn.nic.in